[2022] 10 एस. सी. आर. 1065

चेकमेट सर्विसेज पी. लिमिटेड।

वी.

आय कर आयुक्त-1

(2016 की सिविल अपील संख्या 2833)

12 अक्टूबर, 2022

[उदय उमेश ललित सी. जे. आई., एस. रवींद्र भाट और

सुधांशु धूलिया, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961 - एस. 36 (1) (वीए) और एस. 43 बी-स्वीकार्य कटौती-निर्धारिती-अपीलकर्ताओं ने देर से अपनी जमा की थी

प्रासंगिक अधिनियमों और विनियमों के तहत नियत तिथियां-चाहे एस के गुण। 36 (1) (वा) आर/डब्ल्यू एस। 2 (24) (x), अपीलार्थियों द्वारा प्राप्त ऐसी राशि "आय" का गठन करती है और इसे कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है।

एस. 36 (1) ((च) जब भुगतान संबंधित अधिनियमों के तहत प्रासंगिक नियत तारीख से आगे किया गया था-आयोजितः का अनिवार्य चरित्र

एक कर्मचारी का योगदान, अर्थात, कि यह कर्मचारियों का हिस्सा है '

नियोक्ता द्वारा न्यास में रखी गई आय को शर्त द्वारा रेखांकित किया जाता है

कि इसे नियत तारीख को या उससे पहले जमा किया जाना है -

नियोक्ता के योगदान के बीच का अंतर जो कानून के तहत उसका प्राथमिक दायित्व है-एस के संदर्भ में। 36 (1) ((iv) और उसके द्वारा प्राप्त या उसके द्वारा कटौती की गई राशि जमा करने के लिए उसका दायित्व (एस. 36 (1) (वी. ए.)-पहला नियोक्ता की आय का हिस्सा है, और बाद वाला अपनी आय बरकरार रखता है।

आय के रूप में चरित्र (यद्यपि माना जाता है), एस के आधार पर। 2 (24) (x) जब तक कि स्पष्टीकरण द्वारा s के लिए वर्तनी की गई शर्तें न हों। 36 (1) (वा) संतुष्ट हैं

अर्थात् कर्मचारी से प्राप्त या कटौती की गई ऐसी राशि जमा करना।

नियत तिथि पर या उससे पहले-इस प्रकार एक स्पष्ट अंतर है

दो राशियों की प्रकृति और चरित्र के बीच-यह चिह्नित

प्रत्येक के दायित्व की व्याख्या करते समय अंतर को वहन करना होगा।

एस के तहत निर्धारिती। 43 बी-गैर-अवरोधक खंड यू / s.43B या कुछ भी

उस प्रावधान में निहित निर्धारिती को इससे दोषमुक्त नहीं करेगा

देय राशि पर या उससे पहले कर्मचारी के योगदान को जमा करने का दायित्व

निधि योजना, 1952-कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) विनियम, 1950

क़ानून कर क़ानून की व्याख्या कटौती या

छूट, जब उपलब्ध हो-आयोजितः यदि कोई कटौती या छूट है

[2022] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कुछ शर्तों के अनुपालन पर उपलब्ध, शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए-कटौती केवल तभी दी जानी चाहिए जब उन्हें नियंत्रित करने वाली शर्तों का सख्ती से पालन किया जाए।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

व्यापारिक आधार पर दावा किया गया, स्पष्ट रूप से सशर्त था, कुछ मामलों में भुगतान पर। दूसरे शब्दों में, बही में खर्च का केवल दावा कटौती का हकदार बनाने के लिए अपर्याप्त था। निर्धारिती को, निर्धारित तिथि से पहले, वास्तव में राशि का भुगतान करना पड़ता था-चाहे वह कर देयता, ब्याज या प्रावधान द्वारा उल्लिखित अन्य समान देयता के लिए हो। [पैरा 30] [1087-बी-सी]

1.2 . यह स्पष्ट है कि अधिनियम की योजना ऐसी है कि धारा 28 से 38 विभिन्न प्रकार की कटौती से संबंधित है,

जबकि धारा 40 से 43 बी विशेष प्रावधानों को स्पष्ट करती है, जो मूल्यांकन के लिए तंत्र को निर्धारित करती है और स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है।

अस्वीकृति की शर्तें। इस योजना के संदर्भ में, धारा 40 43 बी विभिन्न शर्तों से संबंधित है और उन्हें लागू करती है, जिन्हें कर न्यायनिर्णायक को लागू करना होता है, और निर्धारिती को एक वैध कटौती प्राप्त करने के लिए उनका पालन करना होता है। [पैरा 31] [1087-सी-डी, ई-एफ]

2.1 . दूसरी ओर, कटौती से संबंधित प्रावधानों की योजना, जैसे कि धारा 32-37, मुख्य रूप से विभिन्न शीर्षों (मूल्यह्रास सहित) के तहत व्यापार, वाणिज्यिक या व्यावसायिक व्यय से संबंधित है। उपयोग की गई अभिव्यक्तियों के आधार पर, इनमें से प्रत्येक कटौती की अपनी रूपरेखा होती है, और

जिन शर्तों को पूरा करना है। इसलिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कटौती की विशिष्ट गणना, इस पर निर्भर करती है -

विशेष शर्तों की पूर्ति, स्वीकार्य कटौती के रूप में योग्य होगीः निर्धारिती द्वारा उन शर्तों का पालन करने में विफलता, दावे को अस्वीकृति के लिए असुरक्षित बना देगी। [पैरा 32] [1087-एफ-एच]

2.2 . संसद ने धारा के तहत योगदान पर विचार किया

36 (1) ((क) धारा 36 (1) (iv) के तहत उन लोगों से अलग। उत्तरार्द्ध ["नियोक्ताओं के योगदान"] को "चेकमेट सर्विसेज पी. लिमिटेड द्वारा भुगतान की गई राशि" के रूप में वर्णित किया गया है।

वी. आय कर आयुक्त-1

एक नियोक्ता के रूप में निर्धारिती एक के प्रति योगदान के रूप में

मान्यता प्राप्त भविष्य निधि "। हालांकि, धारा 36 (1) (वीए) का वाक्यांश विज्ञान धारा 36 (1) (iv) से अलग है। यह अधिनियमित करता है कि "निर्धारिती द्वारा अपने किसी भी कर्मचारी से प्राप्त कोई भी राशि जिसके लिए -

धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (x) के प्रावधान लागू होते हैं, यदि ऐसी राशि निर्धारिती द्वारा नियत तिथि को या उससे पहले संबंधित निधि या निधियों में कर्मचारी के खाते में जमा की जाती है। " एक कर्मचारी के योगदान का आवश्यक चरित्र, यानी कि यह कर्मचारी की आय का हिस्सा है, जो नियोक्ता द्वारा विश्वास में रखा जाता है, इस शर्त से रेखांकित किया जाता है कि इसे नियत तारीख को या उससे पहले जमा किया जाना है। [पैरा 33] [1088-ई-जी]

2.3 . यह अंतर इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि इनमें से प्रत्येक योगदान पर अलग-अलग तरीके से विचार किया जाता है।

आईटी अधिनियम के तहत दोनों के बीच एक वैधानिक वर्गीकरण था। [पैरा 34] [1088-एच; 1089-ए-बी] 3. कानून निर्माताओं का इरादा स्पष्ट था कि धारा 43 बी के खंड (बी) में निर्दिष्ट राशि, यानी "नियोक्ता के रूप में देय राशि",

योगदान के रूप में "नियोक्ता द्वारा योगदान को संदर्भित करता है। धारा 43 बी के दूसरे परंतुक में "नियत तिथि" के संदर्भ का वही अर्थ होना था जो धारा 36 (1) (वीए) के स्पष्टीकरण में दिया गया था। इसलिए संसद ने इस संशोधन के माध्यम से दो प्रकार के भुगतानों के उपचार में पहचान प्रदान करने का प्रयास किया: नियोक्ता द्वारा योगदान के रूप में की गई राशि और नियोक्ता द्वारा जमा की गई राशि, कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में, जो उनके योगदान के रूप में नियोक्ता से प्राप्त होती है। इन दोनों योगदानों को अनिवार्य रूप से नियत तारीख को या उससे पहले किया जाना था। [पैरा 37] [1090-सी-ई]

4. कर कानून की व्याख्या के नियमों में से एक यह है कि यदि कुछ नियमों के अनुपालन पर कटौती या छूट उपलब्ध है।

शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। यह नियम इस सामान्य सिद्धांत के अनुरूप है कि कर लगाने वाले कानूनों को सख्ती से समझा जाना चाहिए, और न्यायसंगत विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। कटौती केवल तभी दी जानी है जब [2022] 10 एस. सी. आर.

उन्हें नियंत्रित करने वाली शर्तों का सख्ती से पालन किया जाता है। [पारस 48 और 49] [1100-सी-ई]

5. जब संसद ने धारा 43 बी पेश की थी, जो कानून की पुस्तक में था, वह केवल नियोक्ता का योगदान था (धारा 43 बी)।

यह अलग-अलग भाषा के उपयोग से स्पष्ट होता है। धारा 2 (24) (x) साथ ही, कर्मचारियों से प्राप्त राशि (चाहे राशि कर्मचारी से प्राप्त की गई हो या कानून द्वारा अधिकृत कटौती के माध्यम से) को आय के रूप में माना जाता है-यह उस राशि का चरित्र है जो महत्वपूर्ण है, यानी अर्जित आय नहीं। इस प्रकार, कटौती आदि के माध्यम से कर्मचारी की आय से नियोक्ता द्वारा रखी गई राशि को कर्मचारी के हाथों में आय के रूप में माना जाता था।

नियोक्ता। इस प्रावधान का महत्व यह है कि एक ओर यह "आय" राशियों के तह में लाया जाता है जो कर्मचारियों की आय से प्राप्तियां या कटौती थीं; उस समय, निर्धारित समय के भीतर भुगतान-संबंधित निधि के साथ उनके क्रेडिट में कर्मचारियों के हिस्से के योगदान के रूप में -

कटौती के रूप में माना जाए (धारा 36 (1) (वीए))। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि नियोक्ताओं के बीच यह अंतर

योगदान (धारा 36 (1) (iv)) और नियोक्ता द्वारा जमा किए जाने के लिए आवश्यक कर्मचारियों के योगदान (धारा 36 (1) (वी. ए.) को बनाए रखा गया था-और इसे बनाए रखा जाना जारी है। दूसरी ओर, धारा 43 बी उन सभी कटौती को शामिल करती है जो इस प्रकार अनुमत हैं -

व्यय या व्यय निर्धारिती के दायित्व का हिस्सा हैं। इनमें कर देयता, उपकर शुल्क आदि या चेकमेट सर्विसेज पी. लिमिटेड जैसी देनदारियां शामिल हैं।

अनुबंध की शर्तों को ध्यान में रखते हुए ब्याज देयता। इस प्रकार, केवल इनका समय पर भुगतान एक निर्धारिती को कुल आय से कटौती का लाभ देता है। धारा 43 बी का अनिवार्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि निर्धारिती लेखांकन के व्यापारिक तरीके का पालन कर रहे हैं, तो भी, केवल पुस्तक प्रविष्टियों के आधार पर ऐसी देनदारियों की कटौती नहीं की जाएगी। खर्च की अनुमति देने के लिए वास्तविक भुगतान एक आवश्यक पूर्व शर्त थी। [पैरा 52] [1103-बी-एच; 1104-ए-बी] 6. एक नियोक्ता के योगदान के बीच का अंतर जो धारा 36 (1) (iv) के संदर्भ में कानून के तहत उसका प्राथमिक दायित्व है, और उसके द्वारा प्राप्त या उसके द्वारा कटौती की गई राशि जमा करने के लिए उसके दायित्व (धारा 36 (1) (वीए)) के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है। पहला नियोक्ता की आय का हिस्सा है, और बाद वाला अपने चरित्र को बनाए रखता है।

आय (यद्यपि समझी गई), धारा 2 (24) (x) के आधार पर-जब तक कि धारा 36 (1) (वी. ए.) के स्पष्टीकरण द्वारा लिखी गई शर्तें पूरी नहीं हो जाती हैं, अर्थात नियत तिथि को या उससे पहले कर्मचारी से प्राप्त या कटौती की गई ऐसी राशि जमा करना। दूसरे शब्दों में, दोनों राशियों की प्रकृति और चरित्र के बीच एक स्पष्ट अंतर है-नियोक्ता के दायित्व का भुगतान उसकी आय से किया जाना है जबकि दूसरे को आय माना जाता है, परिभाषा के अनुसार, क्योंकि यह कर्मचारियों की आय से कटौती है और नियोक्ता द्वारा विश्वास में रखी जाती है। धारा 43 बी के तहत प्रत्येक निर्धारिती के दायित्व की व्याख्या करते समय इस उल्लेखनीय अंतर को सहन करना होगा। [पैरा 53] [1104-बी-ई]

7. धारा 43 बी के अबाधित खंड को धारा 43 बी के संपूर्ण प्रावधान के संदर्भ में समझना होगा, जो कि कर, ब्याज भुगतान और अन्य वैधानिक दायित्वों के रूप में निर्धारिती द्वारा वहन की जाने वाली कुछ देनदारियों का विवरणी दाखिल करने से पहले समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए है। इन देनदारियों के मामले में, नियत तिथि क्या है, इसे क़ानून द्वारा परिभाषित किया जाता है। फिर भी, निर्धारिती को इसमें कुछ छूट दी जाती है जब तक कि जमा निर्धारित तिथि से आगे किए जाते हैं, लेकिन विवरणी दाखिल करने की तारीख से पहले, कटौती की अनुमति है। हालाँकि, यह ट्रस्ट में रखी गई राशियों के मामले में लागू नहीं हो सकता है, जैसा कि कर्मचारियों के योगदान के मामले में होता है-जो उनकी आय से काटे जाते हैं। वे निर्धारिती नियोक्ता की आय का हिस्सा नहीं हैं, और न ही वे [2022] 10 एस. सी. आर. में प्रति कटौती के प्रमुख हैं।

वैधानिक भुगतान का रूप। वे दूसरों की आय, धन हैं, जिन्हें केवल आय माना जाता है, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उन्हें विशेष कानून में निर्दिष्ट नियत तिथि के भीतर भुगतान किया गया है। उन्हें इस तरह के कल्याणकारी कानूनों के संदर्भ में जमा किया जाना चाहिए। यह उन अधिनियमों के संदर्भ में और ऐसी संबंधित कानून द्वारा अनिवार्य नियत तिथियों पर या उससे पहले जमा करने पर है कि जो राशि अन्यथा रखी जाती है, और आय मानी जाती है, उसे कटौती के रूप में माना जाता है। इस प्रकार, यह कटौती के लिए एक आवश्यक शर्त है कि ऐसी राशि नियत तारीख को या उससे पहले जमा की जाए। यदि ऐसी व्याख्या को अपनाया जाना था, तो धारा 43 बी या उस प्रावधान में निहित किसी भी चीज़ के तहत गैर-बाध्यकारी खंड निर्धारिती को कटौती की शर्त के रूप में नियत तारीख को या उससे पहले कर्मचारी के योगदान को जमा करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। [पैरा 54] [1104-एफ-एच; 1105-ए-सी]

आय कर आयुक्त v. एलम एक्सट्रूशंस लिमिटेड,

(2010) 1 एससीसी 489 [2009] 15 एससीआर 1154

प्रतिष्ठित।

सीमा शुल्क आयुक्त बनाम। दिलीप कुमार एंड कंपनी, 2018 (9) एससीसी 1: [2018] 7 एस. सी. आर. 1191-का पालन किया गया।

ईगल फ्लास्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, 2004 सप्लीमेंट (4) एससीआर 35; झारखंड राज्य बनाम अंबे सीमेंट्स (2005) 1 एससीसी 368 [2004] 6 सप्लीमेंट। एस. सी. आर. 125; आयकर आयुक्त बनाम. ऐस मल्टी एक्स सिस्टम लिमिटेड, (2018) 2 एस. सी. सी. 158 [2017] 12 एस. सी. आर. 21; अजमेरा हाउसिंग कॉर्पोरेशन और अन्य। वी. आय आयुक्त, 2010 (8) एससीसी 739: [2010] 10 एस. सी. आर. 183 और आयकर आयुक्त-III बनाम कलकत्ता निटवियर,
लुधियाना 2014 (6) एससीसी 444 [2014] 5 एससीआर 855 -

पर भरोसा किया।

एलाइड मोटर्स (पी) लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (1997) 3 एस. सी. सी. 472: [1997] 2 एससीआर 780; एम. एम. एक्वा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, दिल्ली, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 575 और भारत संघ और अन्य।

वी. एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य। , (2020) 5 एससीसी 274 -

संदर्भित किया गया।

आय कर आयुक्त v. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, (2014) 363 आईटीआर 70; एस्से तेराओका प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी.

डिप्टी चेकमेट सर्विसेज पी. लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त-1

आयकर आयुक्त, (2014) 366 आईटीआर 408;

आय कर आयुक्त v. निप्सो पॉलीफैब्रिक्स लिमिटेड,

(2013) 350 आई. टी. आर. 327; आय आयुक्त बनाम कर।

एमिल लिमिटेड, [2010] 321 आईटीआर 508 (दिल्ली उच्च न्यायालय);

आय आयुक्त-कर और एक अन्य v. साबरी

उद्यम, [2008] 298 आईटीआर 141 (कर्नाटक हाई

न्यायालय); आयकर आयुक्त बनाम। पामवी ऊतक

लिमिटेड, [2009] 313 आई. टी. आर. 137 (बंबई उच्च न्यायालय) और

आय-कर आयुक्त, उदयपुर बनाम। उदयपुर

दुद्ध उत्पादक सहकारी संध लिमिटेड, [2013] 35

टैक्समैन। कॉम 616 (राजस्थान उच्च न्यायालय)-निर्दिष्ट

को।

मामला कानून संदर्भ

[2009] 15 एससीआर 1154

प्रतिष्ठित

पै

रा 10

[1997] 2 एससीआर 780

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

[2010] 10 एससीआर 183

उस पर भरोसा करें

पै

रा 46

[2014] 5 एससीआर 855

उस पर भरोसा करें

पै

रा 47

(2020) 5 एस. सी. सी. 274

संदर्भित किया गया है

पै

रा 47

2004 पूरक (4) एससीआर 35

उस पर भरोसा करें

पै

रा 48

[2004] 6 पूरक। एससीआर 125

उस पर भरोसा करें

पै

रा 49

[2017] 12 एससीआर 21

उस पर भरोसा करें

पै

रा 49

[2018] 7 एससीआर 1191

पीछा किया।

पै

रा 50

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2

2016 से।

उच्च न्यायालय के 14.10.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2014 की कर अपील No.680 में अहमदाबाद में गुजरात सरकार की।

के साथ

2016 की सिविल अपील Nos.2830,2019 की 159,20 की 2832,2831

7248 , 7249,7251-7253 , 7254 , 7247 , 7246 , 7245 , 7250 , 7243 , 7244 2 में से

बलबीर सिंह, एएसजी, अरविंद दातार, तुषार हेमानी, अरविंद पी. दा।

प्रितेश कपूर, अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एस. शांतनम स्वामीनाथन, आर. ए. शर्मा, सुश्री रुबीना विरमानी, सुश्री अभिलाषा श्रवण, अनुभव गु कार्तिक मल्होत्रा, सुश्री निष्ठा खुराना, सुश्री आरती राजन, सुश्री मान [2022] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

टी. करिया, सुश्री सुखदा कालरा, सुश्री निधि नागपाल, आदर्श कुमार, हारिस बीरन, मुश्ताक सलीम, अजहर असीस, उस्मान गनी खान, राधा। श्याम जेना, सुश्री अनुश्री प्रशित कपाड़िया, सुश्री वैभवी पारिख, रवि सिंह चिकारा, सुश्री राधा रंगास्वामी, सुश्री रंजीता रोहतगी, सुश्री विशाखा, सुश्री सीमा बेंगनी, रुपेश कुमार, अदित खुराना, उदय खन्ना, राजन के. चौरसिया, राज बहादुर यादव, मोहित डी. राम, सुश्री मोनिशा हांडा, राजुल श्रीवास्तव, अनुभव शर्मा, नचिकेता जोशी, दीपक शाह, सुश्री सुचेता जोशी, सुश्री हिमाद्री हक्सर, आनंद सुकुमार, एस. सुकुमारन, भुपेश कुमार पाठक, सुश्री मीरा माथुर, अनिरुद्ध देशमुख, जूडी जेम्स, रमेश बाबू एम. आर., पूर्व जितेंद्र मलकान, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

सर्विसेज प्रा. लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त-मैं सुविधा के लिए प्रमुख अपील करता हूं। इन सभी अपीलों में शामिल सामान्य प्रश्न धारा 36 (1) (वीए) और धारा 43 बी की व्याख्या के संबंध में है। आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद, "आई. टी. अधिनियम"), और क्या अपीलकर्ता निर्धारिती कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (इसके बाद, "ई. पी. एफ. अधिनियम"), कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (इसके बाद, "ई. पी. एफ. योजना"), कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (इसके बाद, "ई. एस. आई. अधिनियम"), कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) विनियम, 1950 (इसके बाद, "ई. एस. आई. विनियम") या किसी अन्य भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि के संदर्भ में योगदान के लिए उनके द्वारा जमा की गई राशि की कटौती के हकदार हैं।

2. विचाराधीन वर्षों में, मूल्यांकन अधिकारी

(इसके बाद, "एओ") ने फैसला सुनाया था कि अपीलकर्ताओं ने संबंधित अधिनियमों और विनियमों के तहत नियत तारीखों पर विचार करते हुए ईपीएफ और ईएसआई के लिए अपने कर्मचारियों के योगदान को देर से जमा किया था। नतीजतन, एओ

निर्णय दिया कि आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (24) (x) के साथ पठित धारा 36 (1) (वी. ए.) के आधार पर, अपीलार्थियों द्वारा प्राप्त ऐसी राशियों का गठन किया गया है।

" आय "। उन राशियों को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती थी। 1 बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, कोलकाता-IV और अन्र। , 2016 की सिविल अपील सं. 2830।

2 चेकमेट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड बनाम 2016 का आयकर आयुक्त-I, सी. ए. संख्या 2383।

आई. टी. अधिनियम की धारा 36 (1) (वी. ए.) के तहत जब भुगतान संबंधित अधिनियमों के तहत प्रासंगिक नियत तारीख से आगे किया गया था। दूसरे शब्दों में, ए. ओ. के अनुसार, इस तरह की राशियों का भुगतान संबंधित अधिनियमों के तहत निर्धारित नियत तारीखों से आगे किया गया था, आय की गणना करते समय स्वीकार्य कटौती जैसी राशियों का दावा करने का अधिकार हमेशा के लिए खो गया था। आयकर अपीलीय के समक्ष निर्धारिती की याचिकाएँ असफल रहीं।

न्यायाधिकरण (इसके बाद, "आई. टी. ए. टी".)। अंततः, विवादित फैसले के मामले में, गुजरात उच्च न्यायालय ने भी उसकी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

3

3. इस मुद्दे पर उच्च न्यायालयों के साथ राय के विभाजन को देखते हुए

बॉम्बे, हिमाचल प्रदेश, कलकत्ता, गुवाहाटी और दिल्ली ने एक ओर कर निर्धारकों के लिए लाभकारी व्याख्या का पक्ष लिया और दूसरी ओर केरल और गुजरात के उच्च न्यायालयों ने राजस्व के पक्ष में व्याख्या को प्राथमिकता देते हुए, इस न्यायालय ने इन सभी मामलों में अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान की।

आई. टी. अधिनियम के प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान

4. आई. टी. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान, संशोधनों के साथ किए गए समय-समय पर, नीचे दिए गए अनुसार निकाले जाते हैं:

" खंड 2. परिभाषाएँ।

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,

***

(24) " आय में शामिल हैं

_ ***

(x) निर्धारिती द्वारा अपने कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि

किसी भी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि में योगदान या कर्मचारियों के प्रावधानों के तहत स्थापित कोई निधि

राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34), या इसके लिए कोई अन्य निधि

ऐसे कर्मचारियों का कल्याण; "

***

" धारा 36. अन्य कटौती।

(1) निम्नलिखित खंडों में दी गई कटौती

उसमें निपटाए गए मामलों के संबंध में अनुमति दी जाएगी,

धारा 28 में निर्दिष्ट आय की संगणना करना

3 आयकर आयुक्त-I बनाम चेकमेट सर्विसेज पी. लिमिटेड, 2014 की कर अपील संख्या 680, दिनांक 14.10.2014।

4 वित्त अधिनियम, 1987 (1987 का 11) द्वारा अंतःस्थापित, डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.1988।

((iv) नियोक्ता के रूप में निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि - मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में योगदान या

अनुमोदित अधिवर्षिता निधि, ऐसी सीमाओं के अधीन जो हो सके

भविष्यवक्ता को मान्यता देने के उद्देश्य से निर्धारित किया जाए

यथास्थिति, सेवानिवृत्ति निधि को निधि देना या उसे मंजूरी देना।

होना; और ऐसी शर्तों के अधीन जो बोर्ड उचित समझे

उन मामलों में निर्दिष्ट करना जहां योगदान प्रकृति में नहीं हैं

निश्चित राशि या वार्षिक योगदान का के संदर्भ में कुछ निश्चित आधार पर निर्धारित योगदान

"वेतन" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय या

योगदान या निधि के सदस्यों की संख्या;

***

((च) निर्धारिती द्वारा उसके किसी भी खाते से प्राप्त कोई राशि।

जिन कर्मचारियों के लिए खंड के उपखंड (x) के प्रावधान

(24) धारा 2 लागू होती है, यदि ऐसी राशि निर्धारिती द्वारा जमा की जाती है।

नियत तिथि से पहले। स्पष्टीकरण 1. -इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "देय"

"तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसके द्वारा निर्धारिती की आवश्यकता होती है - नियोक्ता कर्मचारी के योगदान का श्रेय कर्मचारी के खाते में देता है।

किसी भी अधिनियम के तहत संबंधित निधि में खाता। नियम, आदेश या

उसके तहत या किसी स्थायी आदेश के तहत जारी अधिसूचना,

पुरस्कार, सेवा अनुबंध या अन्यथा।

स्पष्टीकरण 2. - शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है

कि धारा 43 ख के प्रावधान लागू नहीं होंगे और

के प्रयोजनों के लिए कभी आवेदन नहीं किया गया माना जाएगा इस खंड के तहत "नियत तारीख" का निर्धारण करना। " 5

(जोर दिया गया)

5. 01.04.1984 के प्रभाव से, धारा 43B को जोड़ा गया था। वह पढ़ता है

आलिया, इस प्रकारः

" धारा 43 ख। कुछ कटौती केवल वास्तविक पर ही होगी

भुगतान करें।

किसी अन्य प्रावधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद

इस अधिनियम में, इस अधिनियम के तहत अन्यथा स्वीकार्य कटौती

का सम्मान

2021 के अधिनियम संख्या 13, डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2021 द्वारा जोड़ा गया संशोधन 2।

हेक्मेट सर्विसेज पी. लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त-1 [एस। रवींद्र भाट, जे।]

***

(ख) नियोक्ता के रूप में निर्धारिती द्वारा किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि में योगदान के रूप में देय कोई राशि। या कर्मचारियों के कल्याण के लिए उपदान निधि या कोई अन्य निधि, या

अनुमति दी जाएगी (पिछले वर्ष की परवाह किए बिना जिसमें

ऐसी राशि का भुगतान करने का दायित्व निर्धारिती द्वारा वहन किया गया था।

नियमित रूप से नियोजित लेखांकन की विधि के अनुसार

उसके द्वारा) केवल धारा में निर्दिष्ट आय की गणना करने में

28 उस पिछले वर्ष का जिसमें ऐसी राशि का वास्तव में भुगतान किया जाता है

उनके द्वाराः

बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा किसी भी राशि के संबंध में जो वास्तव में निर्धारिती द्वारा भुगतान की जाती है

या प्रस्तुत करने के लिए उसके मामले में लागू नियत तारीख से पहले

धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय की वापसी पिछले वर्ष के संबंध में जिसमें ऐसा भुगतान करने का दायित्व है

राशि उपरोक्त रूप में खर्च की गई थी और इस तरह के साक्ष्य

भुगतान निर्धारिती द्वारा इस तरह के विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाता है।

व्याख्याः शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है

जहाँ में निर्दिष्ट किसी राशि के संबंध में कटौती

इस धारा के खंड (ए) या खंड (बी) की संगणना में अनुमति है।

पिछले वर्ष की धारा 28 में निर्दिष्ट आय

शुरू होने वाले मूल्यांकन वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछला वर्ष

1 अप्रैल, 1983 के पहले दिन या इससे पहले के किसी निर्धारण वर्ष में)

जिसमें ऐसी राशि का भुगतान करने का दायित्व वहन किया गया था

पिछले वर्ष की आय जिसमें वास्तव में राशि का भुगतान किया जाता है उसके द्वारा "।

(जोर दिया गया)

वित्त अधिनियम, 1989 की धारा 9 के अनुसार, निम्नलिखित

इसलिए जोड़ा गया थाः

" बशर्ते कि किसी भी संबंध में कोई कटौती नहीं की जाएगी

खंड (ख) में निर्दिष्ट राशि तब तक अनुज्ञात की जाएगी जब तक कि ऐसी राशि

दूसरा परंतुक डब्ल्यू. ई. एफ. 1989

वास्तव में धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (वी. ए.) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित नियत तिथि को या उससे पहले नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य तरीके से भुगतान किया गया है और जहां ऐसा भुगतान धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (वी. ए.) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है और जहां ऐसा भुगतान इसके अलावा किया गया है।

नकद में, राशि पंद्रह दिनों के भीतर प्राप्त की गई है।

नियत तिथि।

वित्त अधिनियम, 2003 की धारा 21 द्वारा, उपरोक्त दूसरा परंतुक

मिटेड।

इसके बाद, वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण 5 था -

डी, डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2021:

" स्पष्टीकरण 5. - शंकाओं को दूर करने के लिए, यह एतद्वारा है

स्पष्ट किया कि इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे

और यह माना जाएगा कि किसी राशि पर कभी लागू नहीं किया गया है

निर्धारिती द्वारा अपने किसी भी कर्मचारी से प्राप्त किया गया जिसे

धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (x) के प्रावधान

लागू होता है "।

6. चींटी अधिनियमों/विनियमों के तहत कर्मचारियों के योगदान को जमा करने की समय सीमा निम्नलिखित हैः

ए. ई. पी. एफ. योजनाः

अध्याय VI: घोषणा पत्र, योगदान कार्ड और

वापसी

38. अंशदान के भुगतान का तरीका

" (1) नियोक्ता, सदस्य को किसी भी अवधि या अवधि के हिस्से के संबंध में अपना वेतन देने से पहले

कौन सा योगदान देय है, कर्मचारी के योगदान को उसके वेतन से काट लें जो उसके अपने योगदान के साथ-साथ वेतन के ऐसे प्रतिशत (मूल मजदूरी, महँगाई भत्ता, बहिष्कृत कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों को देय भत्ते, यदि कोई हो और उस पर स्वीकार्य खाद्य रियायतों का नकद मूल्य)

वह तय कर सकता है, वह हर महीने की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निधि को भुगतान करेगा। भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य HECKMATE SERVICES P. LTD की इंटरनेट बैंकिंग।

वी. आय कर आयुक्त-1 [एस। रवींद्र भाट, जे।]

राष्ट्रीयकृत बैंक या पे गव प्लेटफॉर्म के माध्यम से या

निजी सहित भारत में अनुसूचित बैंकों के माध्यम से

के कारण संग्रह के लिए अधिकृत क्षेत्र के बैंक

योगदान और प्रशासनिक प्रभारः

(जोर दिया गया)

7. उपरोक्त के अलावा, पांच दिन की छूट अवधि की अनुमति दी गई थी।

लेखा प्रक्रिया नियमावली के संदर्भ में चालबाज (भाग-I)

राल)। हालांकि, अनुग्रह अवधि को डब्ल्यूएसयू/9 (1) (2013)/निपटान/35631 दिनांक 08.01.2016 वाले परिपत्र द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसे जनवरी 2016 के बाद के लिए योगदान के लिए केबल बनाया गया था।

ख. ई. एस. आई. विनियमः

" 31. अंशदान के भुगतान का समय-एक नियोक्ता

जो किसी भी संबंध में योगदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है

कर्मचारी 21 दिनों के भीतर उन योगदानों का भुगतान करेगा। कैलेंडर महीने का अंतिम दिन जिसमें

योगदान देय है "

(जोर दिया गया)

8. एक परिपत्र 'में परिचय के लिए तर्क की व्याख्या की गई थी

43 बी परः

" अवैतनिक वैधानिक दायित्व की अस्वीकृति-धारा 43 बी

***

35.2 कई मामले सामने आए हैं जहां करदाता ऐसा करते हैं

अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं जैसे कि

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, आदि, लंबी अवधि के लिए समय, कभी-कभी कई वर्षों तक विस्तारित। इस उद्देश्य के लिए

उनकी आय-कर निर्धारण के रूप में, वे दायित्व का दावा करते हैं

इस आधार पर कटौती कि वे खाते रखते हैं

व्यापारिक या उपार्जित आधार। दूसरी ओर, वे विवाद करते हैं

दायित्व और उसी का निर्वहन न करें। किसी कारण से

या दूसरी, निर्विवाद देनदारियों का भी भुगतान नहीं किया जाता है।

35.3 इस प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए, वित्त अधिनियम ने एक

किसी भी देय राशि के लिए उस कटौती का प्रावधान करने के लिए नई धारा 438

निर्धारिती द्वारा किसी भी कानून के तहत कर या शुल्क के माध्यम से

लार सं. 372 दिनांकित 08-12-1983।

2] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समय पर लागू या निर्धारिती द्वारा देय कोई राशि

नियोक्ता किसी भविष्य निधि में योगदान के रूप में या

सेवानिवृत्ति निधि या उपदान निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई अन्य निधि, चाहे वह पिछले वर्ष हो जिसमें ऐसी राशि का भुगतान करने का दायित्व था, केवल उस पिछले वर्ष की आय की गणना करने में ही अनुमति दी जाएगी।

जिसमें ऐसी राशि वास्तव में निर्धारिती द्वारा भुगतान की जाती है।

9. आई. टी. अधिनियम की धारा 43 बी में नई जोड़ी गई धारा 36 (1) (वी. ए.) और नए जोड़े गए प्रावधानों का दायरा और प्रभाव था -

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (इसके बाद, "सी. बी. डी. टी".) के परिपत्र संख्या 495.8 परिपत्र के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं:

" दुरुपयोग करने वाले नियोक्ताओं को दंडित करने के उपाय

भविष्य निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत स्थापित किसी भी निधि में योगदान,

या कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई अन्य निधि

12.1 मौजूदा प्रावधान भविष्य निधि में योगदान के माध्यम से किसी भी भुगतान के संबंध में कटौती का प्रावधान करते हैं या

अधिवर्षिता निधि या कल्याण के लिए कोई अन्य निधि

कर्मचारी उस वर्ष में जिसमें देयता वास्तव में है

निर्वहन [धारा 438]। वित्त अधिनियम द्वारा लाए गए संशोधन का प्रभाव यह है कि नियोक्ताओं के मूल्यांकन में किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि इस तरह के योगदान का भुगतान "नियत तिथि" पर या उससे पहले निधि में नहीं किया जाता है। नियत तिथि इसका अर्थ है वह तिथि जिसके द्वारा किसी नियोक्ता को किसी कानून या सेवा अनुबंध की अवधि या अन्यथा के प्रावधानों के तहत संबंधित निधि में कर्मचारी के खाते में "योगदान" जमा करने की आवश्यकता होती है [वित्त की धारा 36 (1) (वीए) का स्पष्टीकरण]

अधिनियम]) "।

अपीलार्थियों की दलीलें

10. कुछ अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अरविंद पी. दातार ने इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया।

आय कर आयुक्त v. एलोम एक्सट्रूशंस लिमिटेड 'से यह आग्रह किया गया कि इस निर्णय में आई. टी. अधिनियम की धारा 43 बी (वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा) के दूसरे परंतुक को हटाने के प्रभाव पर विचार किया गया था और क्या यह संभावित रूप से संचालित होता है। अदालत ने राजस्व की याचिका खारिज कर दी

8 परिपत्र संख्या 495 दिनांकित 22.09.1987। आय कर आयुक्त v. एलम एक्सट्रूशंस लिमिटेड, (2010) 1 एस. सी. सी. 489।

और अभिनिर्धारित किया कि धारा 43 ख के दूसरे परंतुक को छोड़ना उपचारात्मक था और इसलिए पूर्वव्यापी रूप से संचालित था। श्री दातार ने आग्रह किया कि अलोम एक्सट्रूशंस में, अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि धारा 43 बी के दूसरे परंतुक को हटाने से पहले मौजूद कानून ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए पी. एफ./सेवानिवृत्ति निधि आदि में योगदान के रूप में किसी नियोक्ता द्वारा देय किसी भी राशि के संबंध में कटौती को प्रतिबंधित कर दिया, जब तक कि उन्हें निर्दिष्ट नियत तिथि के भीतर भुगतान नहीं किया गया हो। धारा 43 बी के दूसरे प्रावधान के तहत, नियोक्ता पर एक और बाधा रखी गई थी-वह कटौती के लिए तभी पात्र था जब वह आय विवरणी दाखिल करने की तारीख से पहले योगदान का भुगतान करता था, और अनिवार्य रूप से आय विवरणी के साथ संलग्न होता था, जिसके परिणामस्वरूप नियोक्ताओं को बहुत कठिनाई होती थी। इस बारे में सरकार को एक अभ्यावेदन पर, केंद्र सरकार द्वारा केलकर समिति का गठन किया गया था, जिसने इस मुद्दे पर विचार किया, और इसकी सिफारिश के आधार पर, वित्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान,

2003 धारा 43 बी के दूसरे परंतुक को हटाने के परिणामस्वरूप पेश किया गया था। श्री दातार ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि अलोम एक्सट्रक्शंस मामले में अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि एलाइड मोटर्स (पी) लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त के पिछले निर्णय में जब आकलन किए गए थे, तो 01.04.1988 से लागू होने वाला पहला परंतुक क़ानून पुस्तिका में नहीं था। 10

11. रिलायंस को आलम एक्सट्रक्शंस के फैसले पर यह कहने के लिए रखा गया था कि यह अदालत असुविधा के लिए जीवित थी

आकलन करता है, यदि राजस्व के तर्क को स्वीकार किया जाना था कि वित्त अधिनियम, 2003 संभावित रूप से सक्रिय था। यह प्रस्तुत किया गया था कि अलोम प्रत्यर्पण में अनुपात और तर्क का पालन कम से कम चालीस उच्च न्यायालयों द्वारा किया गया था। उदाहरणों में सागुन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड बनाम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय शामिल है। आयकर आयुक्त "; राजस्थान उच्च न्यायालय ने आयकर आयुक्त बनाम. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर 1 2 एस्से तेराओका प्राइवेट लिमिटेड में कर्नाटक उच्च न्यायालय। लिमिटेड वी. आयकर उपायुक्त 1 3; और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आयकर आयुक्त बनाम. निप्सो पॉलीफैब्रिक्स Ltd.¹4

12. यह प्रस्तुत किया गया था कि केवल आय आयुक्त में गुजरात उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय

10 एलाइड मोटर्स (पी) लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (1997) 3 एससीसी 472। 11 1 1 सागुन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड बनाम। आयकर आयुक्त, आई. टी. ए./87/2006. 1 2 आयकर आयुक्त बनाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, (2014) 363 आईटीआर 70।

13 एस्से तेराओका प्रा. लिमिटेड वी. आयकर उपायुक्त, (2014) 366 आईटीआर 408।

14 आय कर आयुक्त v. निप्सो पॉलीफैब्रिक्स लिमिटेड, (2013) 350 आईटीआर 327।

कर v. मर्कम Ltd.[15] ने एक अलग दृष्टिकोण और विशिष्टता ली है।

एलोम एक्सट्रूशन। यह प्रस्तुत किया गया कि गुजरात और केरल उच्च न्यायालय के विचार गलत थे। वकील ने आग्रह किया कि धारा 43 बी को मौजूदा कानूनों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। श्री दातार ने इस बात पर जोर दिया कि ई. पी. एफ. अधिनियम और ई. एस. आई. अधिनियम के तहत नियोक्ता समग्र भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। दायित्व में नियोक्ता का योगदान और कर्मचारी से एकत्र किया गया योगदान शामिल होता है। अगर यह रखा जाना था इस बात को ध्यान में रखते हुए कि धारा 43 बी के दूसरे परंतुक को हटाने और धारा 43 बी के शुरुआती गैर-बाधा खंड को पूरा अर्थ दिया जाना चाहिए। नतीजतन, धारा 43 बी के तहत, नियोक्ता के योगदान का भुगतान करते समय, नियोक्ता न केवल अपने योगदान का भुगतान करने के लिए कानूनी दायित्व के तहत है, बल्कि शासी कानून के तहत पीएफ प्राधिकरण को एकल भुगतान के रूप में कर्मचारी का भी भुगतान करने के लिए बाध्य है। धारा 36 (1) (वी. ए.) के स्पष्टीकरण में कर्मचारियों के योगदान के वास्तविक भुगतान के आग्रह को स्पष्ट रूप से गैर-बाधा घोषणा द्वारा ओवरराइड किया गया था।

13. यह तर्क दिया गया कि संसद इस तथ्य के प्रति सचेत थी कि धारा 36 (1) (वीए) के स्पष्टीकरण और धारा 43 बी के दूसरे परंतुक दोनों को 1989 में एक साथ लाया गया था। इसलिए, बाद वाले को हटाना

अर्थात्, धारा 43 बी के दूसरे परंतुक का उद्देश्य निर्धारिती को राहत देना था। गुजरात उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में केवल धारा 36 (1) (वी. ए.) पर ध्यान केंद्रित करने की व्याख्या संसद के इरादे के विपरीत है। विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि अलोम एक्सट्रूशंस ने सही पाया कि कानून बाधा डालता है और मूल्यांकनकर्ताओं को व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा; परिणामस्वरूप, इसे छोड़ दिया गया। चूक को पूरा प्रभाव देने के लिए यह संशोधन घोषित किया गया था

इस न्यायालय द्वारा प्रभाव में पूर्वव्यापी। इसके अलावा, धारा 43 बी में प्रारंभिक वाक्यांश में गैर-अवरोधक खंड को ओवरराइड करने के लिए पर्याप्त माना गया था।

धारा 36 (1) सहित अन्य प्रावधान।

14. अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि आई. टी. अधिनियम की योजना ऐसी थी कि व्यावसायिक आय या इसकी कटौती धारा 36 के तहत लिखी गई थी, और धारा 37 एक अवशिष्ट कटौती खंड था जिसके तहत धारा 28-36 के भीतर आने वाले व्यय के अलावा अन्य व्यय, जो स्पष्ट रूप से वाणिज्यिक या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए निर्धारित किए गए थे, को कटौती के रूप में अनुमति दी गई थी। यदि आई. टी. अधिनियम की योजना को ध्यान में रखा जाना था, तो धारा 36 (1) (वी. ए.) में प्रतिबंधात्मक शर्त अर्थात यह शर्त कि कर्मचारियों के योगदान का भुगतान निर्दिष्ट समय के भीतर किया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर कोई कटौती अनुमत नहीं थी, वास्तव में धारा द्वारा स्पष्ट रूप से ओवरराइड करने का इरादा था।

15 आय कर आयुक्त v. मर्कम लिमिटेड, आई. टी. ए. सं. 402/2009।

चेकमेट सर्विसेज पी. लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त-1 [एस। रवींद्र भाट, जे।]

43 बी. धारा 43 बी (जिसे 01.04.1984 के रूप में पेश किया गया था) के पीछे का दर्शन एक विशेष तिथि से पहले कुछ निर्दिष्ट और वैधानिक बकाया का वास्तविक भुगतान सुनिश्चित करना था। ये बकाया या तो कर या अन्य शुल्कों के माध्यम से (ब्याज सहित-ऋण के लिए भुगतान या ई. पी. एफ. अधिनियम जैसे कानूनों द्वारा काटे गए योगदान) ऐसे अधिनियमों के तहत एक निर्दिष्ट तिथि के भीतर किए जाने थे जो उन दायित्वों को निर्धारित करते हैं। यह केवल कटौती के अनुदान के लिए एक शर्त थी। धारा 43 बी के दूसरे परंतुक में और प्रतिबंधात्मक शर्त लगाई गई थी जिसे 2003 में हटा दिया गया था। इसलिए, धारा 43 बी का गैर-बाध्यकारी खंड लागू था।

स्वामित्व निर्धारिती को उनके द्वारा की गई कटौती का दावा करने का अधिकार देता है

पी. एफ. अधिकारियों को योगदान के संबंध में बशर्ते कि आय की विवरणी दाखिल करने से पहले पूरी राशि का भुगतान किया गया हो।

15. सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री तुषार हेमानी ने श्री दातार की दलीलों का समर्थन किया। उन्होंने भरोसा किया।

ई. पी. एफ. अधिनियम की धारा 2 (सी) पर और इस बात पर प्रकाश डाला कि नियोक्ता द्वारा देय योगदान एक समग्र राशि थी-जिसे योजना के तहत एक कर्मचारी के संबंध में देय राशि के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि इसी तरह अधिनियम की धारा 6 और ई. पी. एफ. योजना के पैराग्राफ 28,30 और 38 यह स्थापित करते हैं कि नियोक्ता द्वारा योगदान के रूप में जो देय था, वह न केवल कर्मचारी के खाते में राशि जमा करने के अपने दायित्व के संबंध में योगदान था, बल्कि उसका योगदान और साथ ही कर्मचारी का योगदान भी था। श्री हेमानी ने स्पष्ट रूप से ई. पी. एफ. अधिनियम की धारा 30 का उल्लेख कियाः

" 30 (1) नियोक्ता पहली बार में, स्वयं द्वारा देय दोनों योगदान का भुगतान करेगा (इस योजना में संदर्भित)

नियोक्ता के योगदान के रूप में) और, की ओर से भी

उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या उसके द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित सदस्य

ठेकेदार, ऐसे सदस्य द्वारा देय योगदान (में

योजना को सदस्य का योगदान कहा जाता है):

(2) ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारी के संबंध में, ठेकेदार ऐसे कर्मचारी द्वारा देय योगदान (इस योजना में सदस्य के योगदान के रूप में संदर्भित) की वसूली करेगा और प्रमुख नियोक्ता को भुगतान करेगा।

इस प्रकार काटे गए सदस्य के योगदान की राशि के साथ-साथ योगदान की समान राशि (इस योजना में नियोक्ता के योगदान के रूप में संदर्भित) और प्रशासनिक शुल्क भी।

2] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(3) यह प्रमुख नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि

दोनों के संबंध में स्वयं देय योगदान का भुगतान करें

प्रत्यक्ष रूप से उसके द्वारा नियोजित कर्मचारी और ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के संबंध में भी और

प्रशासनिक प्रभार "।

इसी तरह, ई. एस. आई. विनियमों के विनियम 31 में भुगतान के लिए समय निर्धारित किया गया है- कैलेंडर महीने के अंतिम दिन के 21 दिनों के भीतर।

जो योगदान देय था। 16. आई. टी. अधिनियम की चौथी अनुसूची के खंड 2 (सी) को संदर्भित विद्वान वरिष्ठ वकीलः

" भाग ए

मान्यता प्राप्त भविष्य निधि

परिभाषाएँ।

2. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो,

***

(ग) "अंशदान" से किसी कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से उसके वेतन से या नियोक्ता द्वारा अपने स्वयं के धन से किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते में जमा की गई कोई राशि अभिप्रेत है, लेकिन इसमें ब्याज के रूप में जमा की गई कोई राशि शामिल नहीं है।

ई. पी. एफ. अधिनियम, ई. पी. एफ. योजना, ई. एस. आई. अधिनियम और ई. एस. आई. विनियमों के साथ-साथ आई. टी. अधिनियम के प्रावधान कर्मचारी के योगदान को निम्न भाग के रूप में संदर्भित करते हैं -

वह योगदान जो नियोक्ता को संबंधित अधिनियम के तहत करना होता है। संसद इसके लिए जीवित थीः नतीजतन, आई. टी. अधिनियम की धारा 43 बी (बी) में 'नियोक्ता के रूप में निर्धारिती द्वारा योगदान के रूप में देय राशि' शब्द का अर्थ है उसका योगदान और कर्मचारियों से बाद वाले के योगदान के रूप में एकत्र की गई राशि दोनों।

17. एक वैकल्पिक प्रस्तुति यह थी कि द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि

नियोक्ता/निर्धारिती के योगदान में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान शामिल था और आईटी अधिनियम की धारा 36 (1) (iv) के तहत कटौती के रूप में इसकी अनुमति दी गई थी। धारा 36 (1) (वी. ए.) के तहत वह राशि थी जो नियोक्ता द्वारा प्राप्त की गई थी और जिसमें कटौती नहीं की गई थी।

निर्धारिती अपने कर्मचारियों से। धारा 36 (1) (वीए) के साथ पठित दोनों धाराएं 2 (24) (एक्स) निर्धारिती द्वारा अपने कर्मचारियों से प्राप्त किसी भी राशि को योगदान के रूप में संदर्भित करती हैं, जबकि निर्धारिती द्वारा कर्मचारियों को किए गए भुगतान से कटौती की गई किसी भी राशि की तुलना में। प्राप्त और कटौती दो अलग-अलग शब्द हैं और इनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किया जा सकता है।

चेकमेट सर्विसेज पी. लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त-1 [एस। रवींद्र भाट, जे।]

18. एक बार फिर, ई. पी. एफ. योजना के खंड 30 और ई. एस. आई. अधिनियम के तहत विनियमों का संदर्भ दिया गया और यह प्रस्तुत किया गया कि ई. पी. एफ. और ई. एस. आई. दोनों अधिनियमों के तहत, जब कर्मचारियों को ई. पी. एफ. द्वारा या उसके माध्यम से नियुक्त किया गया था।

ठेकेदार, बाद वाले को ऐसे कर्मचारी द्वारा देय योगदान की वसूली करनी थी, जिसमें प्रमुख नियोक्ता को दिए गए ऐसे सदस्य के योगदान की राशि, प्रशासनिक शुल्क के साथ इसके योगदान की समान राशि के साथ कटौती की जाती थी। इस तरह का योगदान था

प्रमुख नियोक्ता द्वारा प्राप्त। लेकिन आई. टी. अधिनियम की धारा 36 (1) (वी. ए.) के साथ पठित धारा 2 (24) (x) के लिए, ऐसा लेनदेन प्राप्त और देय के रूप में तुलनपत्र में बना रहेगा। हालांकि, काल्पनिक मानते हुए, ऐसी रसीद को पहले आय के रूप में माना जाता था और संबंधित कानूनों के तहत परिभाषित नियत तारीख तक प्राप्त उक्त राशि के भुगतान पर, आय की गणना करते समय कटौती के रूप में इसकी अनुमति दी जाती थी। आईटी अधिनियम के प्रावधान। इसलिए, आई. टी. अधिनियम की धारा 36 (1) (वी. ए.) में कर्मचारियों से इस तरह की राशि प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए सीमित संचालन था। योगदान के रूप में कर्मचारियों के वेतन से कटौती नियंत्रित की गई थी

आई. टी. अधिनियम की धारा 36 (1) (iv) द्वारा। अनुबंध श्रम के रूप में लगे कर्मचारियों के योगदान की वसूली ऐसे ठेकेदार द्वारा की जानी थी और फिर मुख्य नियोक्ता को भुगतान किया गया। यह, प्रशासनिक शुल्कों के साथ प्रमुख नियोक्ता योगदान के साथ, निर्दिष्ट समय के भीतर ई. पी. एफ. खाते में प्रेषित किया जाना था।

19. अपीलार्थियों में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री प्रीतेश कपूर ने अन्य वरिष्ठ वकीलों की दलीलों को स्वीकार किया। इसके अलावा, उन्होंने आग्रह किया कि धारा 43 बी के दूसरे परंतुक को हटाने में संसदीय चिंता निर्धारिती द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए थी, जिन्हें वे अब फिर से अनुभव करेंगे यदि गुजरात और केरल उच्च न्यायालय के विचारों को स्वीकार किया जाना है। उन्होंने आग्रह किया कि केलकर

प्रबल होना था। 20. श्री कपूर ने इस अदालत से एक ऐसी व्याख्या अपनाने का आग्रह किया जो व्यावहारिक और निष्पक्षता के अनुरूप हो। जब तक कि

संबंधित कर निर्धारिती ने विवरणी दाखिल करने की तारीख से पहले पी. एफ. और अन्य देय राशि जमा कर दी, इस पर कर लगाए जाने का कोई वित्तीय परिणाम नहीं होना चाहिए। वकील ने प्रस्तुत किया कि नियत तारीख के बाद जमा राशि को संबंधित क़ानून के तहत जुर्माना या अन्य प्रतिकूल परिणामों के साथ भेजा जाएगा।

राजस्व के विवाद

21. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (इसके बाद, "एएसजी"),

राजस्व की ओर से श्री बलबीर सिंह ने तर्क दिया कि आलम एक्सट्रूशंस में, [2022] 10 एस. सी. आर.

इसमें शामिल मुद्दा पी. एफ. खाते में नियोक्ता के योगदान के संबंध में था। वर्तमान मामलों में, पी. एफ. खाते में कर्मचारियों के योगदान के संबंध में मुद्दा शामिल था। यह आग्रह किया गया कि आई. टी. अधिनियम पी. एफ. खाते में कर्मचारियों के योगदान और नियोक्ता के योगदान के बीच अंतर करता है। नियोक्ताओं के योगदान के संबंध में, धारा 43 बी लागू थी। हालांकि, कर्मचारियों के योगदान के संबंध में, धारा 36 (1) (वीए) लागू थी, क्योंकि यह विशिष्ट थी और इस बात की ओर इशारा करती थी कि योगदान किस प्रकार का था, और इसे कब किया जा सकता था, ताकि कटौती योग्य व्यय के रूप में अर्हता प्राप्त की जा सके। दोनों प्रावधान यानी धारा 43 बी और धारा 36 (1) (वीए) अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित होते हैं।

योगदान। नतीजतन, धारा 43 बी लागू नहीं थी और धारा 36 (1) (वीए) को ओवरराइड नहीं कर सकती थी।

22. विद्वान ए. एस. जी. ने आगे कहा कि धारा 2 (24) (x) द्वारा,

किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि आदि में योगदान के रूप में कर्मचारियों से "निर्धारिती द्वारा प्राप्त" कोई राशि

ऐसे कर्मचारियों के कल्याण को निर्धारिती की आय में शामिल माना जाता था। इसे 1988 के वित्त अधिनियम में पेश किया गया था। यह समावेशन और धारा 36 और 43 बी में संशोधन इस योजना का हिस्सा थे। इसलिए, धारा 43 बी के दूसरे परंतुक को हटाने के परिणामस्वरूप वह प्रावधान कटौती प्राप्त करने के लिए लगाई गई शर्तों को ओवरराइड नहीं कर सकता था, विशेष रूप से जो धारा 36 का हिस्सा थे।

कल्याण या भविष्य निधि में योगदान। यह समझा जा सकता है कि इस प्रावधान में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान शामिल था। संसद ने तब इस परिस्थिति पर ध्यान दिया कि कई निर्धारिती अपने खातों को बनाए रखने के आधार पर कटौती का दावा करते हैं। व्यापारिक या उपार्जित आधार पर और दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहे। नतीजतन, वित्त अधिनियम 1987 द्वारा, धारा 2 (24) (x), और धारा 36 (1) (va) के साथ-साथ धारा 43B का दूसरा परंतुक जोड़ा गया। उसी से

कानून ने कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान को अलग तरीके से माना।

24. यह आग्रह किया गया था कि लेकिन उपरोक्त व्याख्या के लिए "आय" के दायरे में लाने का कोई तर्क नहीं था-धारा 2 (24) (x) द्वारा-नियोक्ता द्वारा प्राप्त कर्मचारी का योगदान और एक धारा 36 (1) (वी. ए.) द्वारा कटौती और कटौती की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब वह चेकमेट सर्विसेज पी. लिमिटेड हो।

धारा 2 (24) (x) के तहत "आय" की परिभाषा में विशेष रूप से इंगित किया गया है, जो वित्त अधिनियम, 1987 के तहत डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.1988 पेश किया गया एक प्रावधान है। 26. राजस्व ने आगे तर्क दिया कि धारा 36 (1) (वीए) के प्रावधानों के संदर्भ में निर्धारिती द्वारा अपने किसी भी कर्मचारी से प्राप्त किसी भी राशि के संबंध में, जिस पर धारा 2 (24 (एक्स) का प्रावधान लागू होता है, यदि निर्धारिती द्वारा संबंधित में कर्मचारियों के खाते में जमा किया जाता है।

नियत तिथि पर या उससे पहले निधि या निधियाँ, निर्धारिती कटौती का हकदार था। यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 36 (1) (वी. ए.) के स्पष्टीकरण में भी यह स्पष्ट किया गया था कि उस प्रावधान के उद्देश्य के लिए, "नियत तिथि" का अर्थ वह तिथि है जिसके द्वारा निर्धारिती को, एक नियोक्ता के रूप में, किसी भी कानून या नियम या विनियमन के तहत या किसी स्थायी आदेश आदि के तहत संबंधित निधि में कर्मचारियों के खाते में कर्मचारियों का योगदान जमा करना था। इसलिए, प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के दौरान, यदि नियोक्ता ने ई. पी. एफ./ई. एस. आई. अधिनियम के तहत नियत तारीख को या उससे पहले पी. एफ. अधिकारियों के पास कर्मचारियों के योगदान के लिए पूरी राशि जमा नहीं की, तो कर्मचारियों के योगदान/ई. एस. आई. योगदान की जमा राशि में इस हद तक कमी थी कि निर्धारिती कटौती का हकदार नहीं था।

27. विद्वान ए. एस. जी. ने आगे प्रस्तुत किया कि धारा 43 बी जो कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भी भविष्य निधि या किसी अन्य निधि में नियोक्ता के योगदान पर लागू होती है, और धारा 43 बी में संशोधन, जो यह अधिनियमित करता है कि नियोक्ता के योगदान की ऐसी कोई भी राशि नियोक्ता द्वारा धारा 139 के तहत विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख को या उससे पहले जमा की गई थी, संबंधित वर्ष में कटौती का हकदार था, कर्मचारियों के योगदान के संबंध में लागू नहीं था। इसलिए यह तर्क दिया गया कि जब निर्धारिती ने जमा नहीं किया ई. पी. एफ./ई. एस. आई. अधिनियम के तहत दी गई नियत तारीख से पहले पी. एफ. खाते में कर्मचारियों का योगदान, निर्धारिती को [2022] 10 एस. सी. आर. के तहत कटौती का अधिकार नहीं था।

प्रासंगिक मूल्यांकन आदेश में धारा 36, हालांकि निर्धारिती कर सकता है

आईटी अधिनियम की धारा 139 के तहत रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को या उससे पहले कर्मचारियों का योगदान जमा किया है।

28. यह भी आग्रह किया गया कि धारा 36 और 43 बी के बीच भाषा में अंतर इसलिए था क्योंकि दोनों प्रावधानों में अंतर था।

उद्देश्य। जहां धारा 36 उन कटौतीयों से संबंधित थी जो पिछले प्रावधानों में शामिल नहीं थीं, वहीं धारा 36 (1) (वीए) अपने स्पष्टीकरणों के साथ सीधे तौर पर "नियत तारीख" के अर्थ से संबंधित थी जो कि

तारीख जिसके द्वारा निर्धारिती को एक नियोक्ता के रूप में "किसी भी अधिनियम के तहत संबंधित निधि में कर्मचारी के खाते में एक कर्मचारी के योगदान को जमा करने की आवश्यकता थी।" दूसरी ओर, धारा 43 बी को यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया था कि जिन राशियों को अन्यथा कटौती के रूप में माना जा सकता है, विशेष रूप से, जिन्हें देय के रूप में दिखाया गया है, वे व्यापार पद्धति के आधार पर

लेखांकन, इस तरह के उपचार के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वे भुगतान वास्तव में तब नहीं किए गए थे जब वे देय थेः जैसे कि कर बकाया, वैधानिक या ब्याज देनदारियाँ। परंतुक द्वारा उकेरा गया सीमित अपवाद

धारा 43 ख यह थी कि यदि निर्धारिती द्वारा वास्तव में ऐसी राशि का भुगतान उस पूर्ववर्ष के संबंध में, जिसमें ऐसी राशि का भुगतान करने का दायित्व वहन किया गया था, धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उसके मामले में लागू नियत तिथि को या उससे पहले किया गया था और निर्धारिती ने इस तरह के भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत किया।

वापसी, कटौती के लिए पात्रता होगी। 29. यह आग्रह किया गया कि धारा 43 बी नियोक्ता द्वारा देय राशि या नियोक्ता द्वारा देय 'नियोक्ता के योगदान' की बात करती है।

कर्मचारियों के वेतन से कटौती। इस तरह की कटौती वैधानिक रूप से सक्षम थी। कर्मचारी के वेतन से कटौती, इसमें कोई संदेह नहीं है, नियोक्ता की जिम्मेदारी थी, जैसा कि धन के लिए प्रेषण था। फिर भी, योगदान की मूल प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आया, जो कर्मचारी का था। कर्मचारी के वेतन से काटे गए और नियोक्ता द्वारा जमा किए गए योगदान को नियोक्ता का योगदान नहीं कहा जा सकता है। ई. पी. एफ. अधिनियम और ई. एस. आई. अधिनियम के तहत देय योगदान के रूप में अब तक एक अंतर मौजूद था। नियोक्ता का योगदान होना चाहिए था नियोक्ता द्वारा स्वयं भुगतान किया जाता है। उस स्थिति में कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी। दूसरी ओर, कर्मचारी का योगदान कर्मचारी को देय वेतन से संबंधित निधि में काटा जाना था।

चेकमेट सर्विसेज पी. लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त-1 [एस। रवींद्र भाट, जे।]

विश्लेषण और निष्कर्ष

30. तथ्यात्मक वर्णन दो बिल्कुल विपरीत विचारों को प्रकट करता है।

एक ओर धारा 36 (1) (वी. ए.) की व्याख्या और दूसरी ओर धारा 43 (बी.) के परंतुक के संबंध में। यदि इन प्रावधानों के विधायी इतिहास पर गौर किया जाए तो यह स्पष्ट है कि संसद का धारा 43 बी (जो इसके गैर-अबाधित खंड के साथ खुलती है) को लागू करने का प्रयास मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करना था कि कटौती अन्यथा अनुमेय हो और अब तक

व्यापारिक आधार पर दावा किया गया, स्पष्ट रूप से सशर्त था, कुछ मामलों में भुगतान पर। दूसरे शब्दों में, बही में खर्च का केवल दावा कटौती का हकदार बनाने के लिए अपर्याप्त था। निर्धारिती को, निर्धारित तिथि से पहले, वास्तव में राशि का भुगतान करना पड़ता था-चाहे वह कर देयता के लिए हो।

ब्याज या प्रावधान द्वारा वर्णित अन्य समान देयता।

31. धारा 43 बी आई. टी. अधिनियम के भाग-5 में आती है। जो स्पष्ट है वह यह है कि

कि अधिनियम की योजना ऐसी है कि धारा 28 से 38 से संबंधित है

विभिन्न प्रकार की कटौती, जबकि धारा 40 से 43 बी विशेष प्रावधानों को बताती है, जो मूल्यांकन के लिए तंत्र को निर्धारित करती है और स्पष्ट रूप से

अस्वीकृति के लिए शर्तें निर्धारित करना। इस योजना के संदर्भ में, धारा 40 (जो भी धारा 30-38 को ओवरराइड करने वाले एक गैर-अबाधित खंड के साथ शुरू होती है), "व्यवसाय और पेशे के लाभ और लाभ" शीर्षक के तहत आय की गणना में क्या कटौती नहीं की जा सकती है, उससे संबंधित है। इसी तरह, धारा 40 ए (2) एक गैर-बाधा खंड के साथ खुलती है और बताती है कि कुछ परिस्थितियों में कौन से खर्च और भुगतान कटौती योग्य नहीं हैं। धारा 41

कुछ कटौती के संबंध में लागू होने वाली शर्तों को विस्तृत करता है।

जो अन्यथा हानि, व्यय या व्यापारिक देयता आदि के संबंध में अनुमत हैं। यदि हम इस योजना पर विचार करते हैं, तो धारा 40-43 ख हैं -

विभिन्न शर्तों से संबंधित और अधिनियमित, कि कर

न्यायनिर्णायक को एक वैध कटौती प्राप्त करने के लिए लागू करना होता है और निर्धारिती को इसका पालन करना होता है।

32. दूसरी ओर, कटौती से संबंधित प्रावधानों की योजना, जैसे कि धारा 32-37, मुख्य रूप से विभिन्न शीर्षों (मूल्यह्रास सहित) के तहत व्यावसायिक, वाणिज्यिक या व्यावसायिक व्यय से संबंधित है। इनमें से प्रत्येक कटौती की अपनी रूपरेखा होती है, जो उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्तियों और उन शर्तों पर निर्भर करती है जिन्हें पूरा किया जाना है। इसलिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विशेष शर्तों की पूर्ति पर निर्भर कटौती की विशिष्ट गणना स्वीकार्य होगी।

कटौतीः निर्धारिती द्वारा उन शर्तों का पालन करने में विफलता, दावे को अस्वीकृति के लिए असुरक्षित बना देगी। इस योजना में नियोक्ताओं द्वारा अनुमोदित भविष्य निधि योजनाओं में की गई कटौती, [2022] 10 एस. सी. आर. है।

धारा 36 (iv) की विषय वस्तु। यह उल्लेखनीय है कि यह प्रावधान मूल आई. टी. अधिनियम का हिस्सा था; यह काफी हद तक अपरिवर्तित रहा है। दूसरी ओर, धारा 36 (1) (वी. ए.) को विशेष रूप से वित्त अधिनियम, 1987, डब्ल्यू. ई. एफ. 01-04-1988 द्वारा जोड़ा गया था। उसी संशोधन के माध्यम से, धारा 3 (बी), धारा 2 (24) द्वारा-जो "आय" के विभिन्न प्रकारों को परिभाषित करती है-खंड (एक्स) जोड़ा गया। यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है, क्योंकि संसद का इरादा था

निर्धारिती, लेकिन उसके द्वारा न्यासी के रूप में अभिनिर्धारित किया गया था, धारा 36 (1) (वीए) को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया था कि यदि ये रसीदें जमा की गई थीं संबंधित कर्मचारियों के ई. पी. एफ./ई. एस. आई. खातों में, उन्हें कटौती माना जा सकता है। धारा 36 (1) (वी. ए.) को इस शर्त के साथ सुरक्षित किया गया था कि नियोक्ता द्वारा देय तिथि पर या उससे पहले ई. पी. एफ./ई. एस. आई. के पास राशि/रसीदें जमा की जानी चाहिए। ई. पी. एफ./ई. एस. आई. अधिनियमों जैसे संबंधित अधिनियमों में, स्पष्टीकरण में अंतिम अभिव्यक्ति "नियत तिथि" को उस तारीख के रूप में वर्णित किया गया था जिसके द्वारा नियोक्ता द्वारा ऐसी राशि जमा की जानी थी। महत्वपूर्ण रूप से, ऐसी शर्त (यानी नियत तारीख को या उससे पहले राशि जमा करना) के संबंध में अधिनियमित नहीं की गई है

नियोक्ता का योगदान (अर्थात, धारा 36 (1) (iv))।

33. इसका महत्व यह है कि संसद ने योगदान पर विचार किया

धारा 36 (1) (वीए) के तहत धारा 36 (1) (iv) के तहत अलग से। उत्तरार्द्ध (इसके बाद, "नियोक्ता का योगदान") को "नियोक्ता के रूप में निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई राशि" के रूप में वर्णित किया गया है।

एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि "। हालांकि, धारा 36 (1) (वीए) का वाक्यांश विज्ञान धारा 36 (1) (iv) से अलग है। यह अधिनियमित करता है कि "निर्धारिती द्वारा अपने किसी भी कर्मचारी से प्राप्त कोई भी राशि जिसके लिए -

धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (x) के प्रावधान लागू होते हैं, यदि ऐसी राशि निर्धारिती द्वारा नियत तिथि को या उससे पहले संबंधित निधि या निधियों में कर्मचारी के खाते में जमा की जाती है। एक कर्मचारी के योगदान का आवश्यक चरित्र, यानी कि यह कर्मचारी की आय का हिस्सा है, जो नियोक्ता द्वारा विश्वास में रखा जाता है, इस शर्त से रेखांकित किया जाता है कि इसे नियत तारीख को या उससे पहले जमा किया जाना है।

34. इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 2 (सी) में योगदान की परिभाषा का उपयोग पूरी तरह से अलग अर्थों में, प्रासंगिक कटौती खंडों में किया जाता है। यह अंतर इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि प्रत्येक HECKMATE SERVICES P. LTD।

वी. आय कर आयुक्त-1 [एस। रवींद्र भाट, जे।]

धारा के विभिन्न खंडों में योगदान पर अलग से विचार किया गया है।

) . ये सभी इस बात को स्थापित करते हैं कि संसद ने धारा को पेश करते हुए

(va) धारा 2 (24) (x) के साथ, दो प्रकार के योगदानों के अंतर से अवगत था। एक वैधानिक था

आई. टी. अधिनियम के तहत दोनों के बीच एकीकरण।

35. इस संदर्भ में यह ध्यान रखना शिक्षाप्रद है कि वित्त अधिनियम, जिसे धारा 2 (24), परिभाषा खंड (x) में 1 अप्रैल 1988 से लागू किया गया था, धारा 36 (1) (वीए) में भी लाया गया था। वित्त विधेयक, 1987 में इन प्रावधानों में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया

एमेंट, नीचे निकाला गया हैः

" नियोक्ताओं को योगदान का गलत उपयोग करने के लिए दंडित करने के उपाय

भविष्य निधि या प्रावधानों के तहत स्थापित किसी भी निधि को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 या कोई अन्य निधि

कर्मचारियों के कल्याण के लिए -

12.1 . मौजूदा प्रावधानों में कटौती का प्रावधान है।

भविष्य निधि में योगदान के रूप में किसी भी भुगतान का

या किसी अधिवर्षिता निधि या कल्याण के लिए कोई अन्य निधि उस वर्ष में कर्मचारी जिसमें देनदारियाँ वास्तव में हैं

निर्वहन (धारा 43 ख)। वित्त अधिनियम द्वारा लाए गए संशोधन का प्रभाव यह है कि किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी

नियोक्ता के मूल्यांकन में, जब तक कि ऐसा योगदान न हो

नियत तिथि पर या उससे पहले निधि में भुगतान किया गया। नियत तिथि "

संबंधित निधि में कर्मचारियों के खाते में योगदान या किसी भी कानून या अनुबंध की अवधि के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत

सेवा या अन्यथा। (वित्त अधिनियम की धारा 36 (1) का स्पष्टीकरण)

12.2 . इसके अलावा, विभिन्न कार्यों में कर्मचारियों का योगदान

नियोक्ता द्वारा वेतन से कटौती की जाने वाली धनराशि

और कर्मचारियों के वेतन पर आय के रूप में कर लगाया जाएगा।

नियोक्ता की धारा 2 के खंड (24) में नया [खंड (x)] अंतःस्थापित करना, यदि ऐसा योगदान नियोक्ता द्वारा संबंधित निधि में कर्मचारी के खाते में जमा नहीं किया जाता है।

"व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ" शीर्ष के तहत इसका मूल्यांकन अन्य आय शीर्ष के तहत किया जाएगा।

स्रोतों।

2] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

36. उल्लेखनीय है कि इसी वित्त अधिनियम, 1987 ने संशोधन (वित्त विधेयक का खंड 10) के माध्यम से धारा 43 बी के लिए प्रावधान भी पेश किए। विधेयक की व्याख्या करने वाले ज्ञापन में धारा 43 बी के दूसरे परंतुक के संबंध में विशेष रूप से कहा गया है कि:

" ..... दूसरा परंतुक यह उपबंध करना चाहता है कि खंड (ख) में निर्दिष्ट राशि के संबंध में कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी राशि का वास्तव में पिछले वर्ष के दौरान नियत तिथि को या उससे पहले भुगतान नहीं किया गया हो। इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए नियत तिथि धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (वीए) के स्पष्टीकरण के तहत नियत तिथि होगी।

37. यह स्पष्ट है कि कानून निर्माताओं का इरादा स्पष्ट था कि धारा 43 बी के खंड (बी) में निर्दिष्ट राशि, यानी "नियोक्ता के रूप में देय राशि, योगदान के रूप में", द्वारा किए गए योगदान को संदर्भित करती है। नियोक्ता। धारा 43 बी के दूसरे परंतुक में "नियत तिथि" के संदर्भ का वही अर्थ होना था जो धारा 36 (1) (वीए) के स्पष्टीकरण में दिया गया था। इसलिए संसद ने इस संशोधन के माध्यम से दो प्रकार के भुगतानों के उपचार में पहचान प्रदान करने का प्रयास किया: वे

नियोक्ताओं द्वारा योगदान के रूप में की गई राशि और नियोक्ताओं द्वारा जमा की गई राशि, कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में, बाद वाले से उनके योगदान के रूप में प्राप्त की गई। इन दोनों योगदानों को अनिवार्य रूप से नियत तारीख को या उससे पहले किया जाना था।

38. इस अदालत के पास पेश करने के उद्देश्य पर विचार करने का अवसर था

धारा 43 बी, एलाइड मोटर्स में। अदालत ने वित्त मंत्री के बजट भाषण के उद्धरणों को 1983-84 के लिए निर्धारित करने के बाद कहा कि:

" इसलिए, धारा 43 बी का स्पष्ट रूप से उद्देश्य उन करदाताओं की गतिविधियों पर अंकुश लगाना था, जिन्होंने अपनी आय का भुगतान नहीं किया था।

उत्पाद शुल्क के भुगतान का वैधानिक दायित्व, नियोक्ता का

भविष्य निधि आदि में लंबे समय तक का योगदान, लेकिन इस आधार पर अपनी आय से उस संबंध में कटौती का दावा किया कि इन राशियों का भुगतान करने का दायित्व उनके द्वारा संबंधित पिछले वर्ष में किया गया था। रुकना ही था यह शरारत कि धारा 43 बी डाली गई थी।

39. मूल धारा 43 बी (बी) ने निर्धारिती/नियोक्ता को नियोक्ता के रूप में योगदान के लिए कटौती का दावा करने में सक्षम बनाया।

किसी भी भविष्य निधि में योगदान "। दूसरे परंतुक को वित्त अधिनियम, 1989 द्वारा 01.04.1989 से प्रतिस्थापित किया गया था और इसे निम्नानुसार पढ़ा गया था:

हेक्मेट सर्विसेज पी. लिमिटेड। वी. के आयुक्त

आय कर-1 [एस। रवींद्र भाट, जे।]

" ..... बशर्ते कि किसी के संबंध में कोई कटौती नहीं की जाएगी

खंड (बी) में निर्दिष्ट राशि की अनुमति तब तक दी जाएगी जब तक कि ऐसी राशि का भुगतान वास्तव में नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य तरीके से नियत तारीख को या उससे पहले किया गया हो जैसा कि धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (वीए) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है और जहां ऐसा भुगतान इसके अलावा किया गया है।

नकद में, उसी को 15 दिनों के भीतर प्राप्त किया गया है

नियत तिथि "।

40. कानून में स्थिति 14 वर्षों तक अपरिवर्तित रही। इसके बाद सरकार ने ई-फॉर्म का सुझाव देने के लिए केलकर समिति का गठन किया। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ धारा में संशोधन का सुझाव दिया गया है।

रिपोर्ट का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

" आय-कर अधिनियम की धारा 43 बी के प्रावधानों के संदर्भ में श्रम, करों से संबंधित वैधानिक भुगतानों के लिए कटौती

और राज्य और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों को अनुमति दी जाती है

कटौती, यदि उनका भुगतान वित्तीय वर्ष के दौरान किया जाता है। हालांकि, राज्य को करों और ब्याज के भुगतान के प्रावधानों के तहत

और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान को वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किया गया माना जाता है, भले ही उन्हें देय राशि द्वारा भुगतान किया गया हो।

विवरणी दाखिल करने की तिथि। इसके अलावा यदि देयता का भुगतान विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि के बाद अगले वर्ष में किया जाता है, तो भुगतान को बाद के वर्ष में कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है। श्रम से संबंधित वैधानिक भुगतान के मामले में,

भुगतान के लिए कटौती की अनुमति नहीं है यदि ऐसा भुगतान किया जाता है संबंधित देयता के भुगतान की अंतिम तिथि के बाद किसी भी समय किया गया। देश भर में व्यापार और उद्योग

प्रतिनिधित्व किया कि वैधानिक दायित्व के विलंबित भुगतान

श्रम से संबंधित लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा करों और ब्याज के विलंबित भुगतान के साथ किया जाता है।

लेखा वर्ष में अनुमति दी गई।

चूंकि इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई करदाता वास्तव में भुगतान किए बिना किसी भी वैधानिक दायित्व का लाभ न उठाए, इसलिए हमारा विचार है कि

यदि भुगतान के वर्ष में श्रम से संबंधित वैधानिक दायित्व के लिए कटौती की अनुमति दी जाती है तो उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा। इस तरह के भुगतानों को पूरी तरह से अस्वीकार करना भुगतान में देरी के लिए बहुत कठोर दंड है। इसलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि वैधानिक देयता [2022] के विलंबित भुगतान के लिए कटौती 10 एस. सी. आर.

श्रम से संबंधित भुगतान के वर्ष में अनुमति दी जानी चाहिए।

जैसे विलंबित कर और ब्याज।

रिपोर्ट के आधार पर, संघ ने आई. टी. में संशोधन पेश किए, जिसमें धारा 43 बी में संशोधन; धारा 43 बी के मामले में वित्त विधेयक, 2003 में प्रावधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन शामिल है।

आलिया, इस प्रकार पढ़ती हैः

" विधेयक में यह भी प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि कटौती की स्थिति में

किसी भी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि में योगदान या कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई अन्य निधि

उस वर्ष की आय की गणना करने की अनुमति है जिसमें ऐसी

वास्तव में राशि का भुगतान किया जाता है। यदि देय राशि से पहले भुगतान किया जाता है

पिछले वर्ष के लिए आय विवरणी दाखिल करने की तिथि,

भत्ता उस वर्ष दिया जाएगा जिसमें देयता थी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार मूल्यांकन वर्ष 2004 के संबंध में लागू होगा।

05 और बाद के वर्षों में।

41. खंडों पर टिप्पणियाँ अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार हैंः

" उक्त प्रावधान के पहले प्रावधान में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

प्रकृति। उक्त के दूसरे परंतुक को हटाने का भी प्रस्ताव है।

अनुभाग। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, मूल्यांकन वर्ष 2004-2005 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होंगे। 42. धारा 43 बी को लागू करने का कारण समझाया गया था।

एम. एम. एक्वा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम एम. के आयुक्त

ने टैक्स, दिल्लीः 16

शुरुआत में निहित गैर-अवरोधक खंड द्वारा स्पष्ट करें कटौती की अनुमति के साथ प्रावधान

. एक्वा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, दिल्ली, 2021 एससीसी ई एससी 575।

हेक्मेट सर्विसेज पी. लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त-1 [एस। रवींद्र भाट, जे।]

पिछले वर्षों के बावजूद जिसमें देयता का भुगतान करना है

लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली को तब नहीं देखा जा सकता जब इस धारा के तहत कटौती का दावा किया जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि

दायित्व का वहन कटौती की अनुमति नहीं दे सकता है, लेकिन केवल

" वास्तविक भुगतान ", जैसा कि किसी दायित्व को वहन करने के विपरीत है,

कटौती की अनुमति दे सकते हैं "। 43. यह शर्त, अर्थात, वास्तविक राशि के भुगतान की उस दिन या उससे पहले

कटौती को सक्षम करने के लिए नियत तिथि, 14 वर्षों तक जारी रही। के द्वारा

2003 में, दूसरा प्रावधान हटा दिया गया था। यह अदालत

इन घटनाक्रमों के आलोक में, एलोम एक्सट्रूशंस में कानून को लागू किया गया। न्यायालय ने दूसरे परंतुक को हटाने के प्रभाव पर विचार किया, और

वेद इस प्रकार हैः

" 10. " आय को लाभ और लाभ को शामिल करने के लिए अधिनियम की धारा 2 (24) के तहत परिभाषित किया गया है। धारा 2 (24) (x) के तहत, कोई भी निर्धारिती द्वारा अपने कर्मचारियों से प्राप्त राशि

किसी भविष्य निधि/अधिवर्षिता निधि में योगदान या

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत स्थापित कोई भी निधि,

1948 , या ऐसे कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई अन्य निधि

आय का गठन किया। यही कारण है कि प्रत्येक निर्धारिती

[नियोक्ता 1-4 से पहले भी कटौती के हकदार थे।

1984 , एक व्यवसाय के रूप में लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली पर

उस संबंध में। दूसरे शब्दों में, यदि कोई निर्धारिती (नियोक्ता) लेखांकन की संचय प्रणाली पर अपनी पुस्तकें रख रहा है, तो भी अपने कर्मचारी (कर्मचारियों) से योगदान एकत्र करने के बाद और क्षेत्रीय भविष्य निधि में राशि भेजे बिना भी

आयुक्त (आर. पी. एफ. सी.), निर्धारिती (ओं) के हकदार होंगे

केवल एक प्रावधान करके व्यावसायिक व्यय के रूप में कटौती

उनके लेखों की पुस्तकों में इस आशय के लिए। ऐसी ही स्थिति

निर्धारिती के संग्रह के संदर्भ में 1-4-1984 से पहले उत्पन्न हुआ

बिक्री कर और उनके संबंधित से अन्य अप्रत्यक्ष कर

वास्तव में राशि भेजे बिना उनकी पुस्तकों में राजकोष। इस प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए, धारा 43-बी को 1-4-1984 से प्रभावी किया गया था, जिसके द्वारा कर, शुल्क और कल्याण में योगदान के संबंध में लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली [2022] 10 एस. सी. आर.

निधियां बंद कर दी गईं और धारा 43-बी के तहत, निर्धारिती के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वह वन आधारित वस्तुओं का लेखा-जोखा व्यापारिक आधार पर नहीं बल्कि नकद आधार पर रखे। यह स्थिति 1-4-1984 और 1-4-1988 के बीच जारी रही, जब संसद ने धारा 43-B में संशोधन किया और धारा में पहला प्रावधान जोड़ा।

43 - बी. 11. इस पहले परंतुक द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, कर, शुल्क, उपकर या शुल्क के रूप में निर्धारिती द्वारा देय किसी राशि के संदर्भ में यह निर्धारित किया गया था कि यदि कोई निर्धारिती लेखा वर्ष समाप्त होने के बाद भी ऐसा कर, शुल्क, उपकर या शुल्क का भुगतान करता है, लेकिन

अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत आय विवरणी दाखिल करने की तारीख से पहले, निर्धारिती वास्तविक भुगतान के आधार पर धारा 43-बी के तहत कटौती का हकदार होगा और ऐसी कटौती लेखांकन वर्ष के लिए स्वीकार्य होगी। हालाँकि, यह प्रावधान निर्धारिती द्वारा श्रम कल्याण कोष में किए गए योगदान पर लागू नहीं होता था। इस प्रभाव के लिए, पहला प्रावधान 1-4-1988 से लागू किया गया था।

***

15. वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा, पहले परंतुक में किया गया संशोधन एक ओर कर, शुल्क, उपकर और शुल्क की कटौती के लाभ के संदर्भ में कर्मचारी भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति निधि में योगदान के साथ और

दूसरी ओर अन्य कल्याणकारी निधियाँ। तथापि, वित्त अधिनियम,

2003 , इस एकरूपता को लाना 1-4-2004 से लागू हुआ। इसलिए, का तर्क

निर्धारिती का कहना है कि वित्त अधिनियम, 2003, उपचारात्मक प्रकृति का था, यह संशोधनकारी नहीं था और इसलिए, यह 1-4-1988 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होता था, जबकि विभाग का तर्क था कि वित्त अधिनियम, 2003, संशोधनकारी था और यह संभावित रूप से लागू होता था, विशेष रूप से जब संसद

वित्त अधिनियम, 2003 को स्पष्ट रूप से केवल 1-4-2004 से लागू किया गया था।

***

18. हालाँकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, दूसरे परंतुक के परिणामस्वरूप कार्यान्वयन की समस्याएं उत्पन्न हुईं, जिनका उल्लेख किया गया है।

इसके ऊपर, और जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम बनाया गया वित्त अधिनियम, 2003, दूसरे परंतुक को हटाना और HECKMATE SERVICES P. LTD लाना।

वी. आय कर आयुक्त-1 [एस। रवींद्र भाट, जे।]

संबंधित पिछले वर्ष के अंत में लेकिन संबंधित बिक्री कर कानून के तहत अनुमत समय के भीतर पिछले वर्ष की व्यावसायिक आय की गणना करते समय अधिनियम की धारा 43-बी के तहत अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वह एक ऐसा मामला था जो संबंधित था मूल्यांकन वर्ष 1984-1985। संबंधित लेखा अवधि 30-6-1983 पर समाप्त हुई। आयकर अधिकारी ने निर्धारिती द्वारा दावा की गई कटौती को अस्वीकार कर दिया जो संबंधित लेखा वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए निर्धारिती द्वारा एकत्र किए गए बिक्री कर के कारण थी। कटौती की अनुमति नहीं दी गई थी

धारा 43-बी, जिसे, जैसा कि ऊपर बताया गया है, 1-4-1984 के प्रभाव से जोड़ा गया था।

***

22. एक बार फिर यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा न केवल दूसरे परंतुक को हटा दिया गया है, बल्कि पहले परंतुक को भी संशोधित करने की मांग की गई है।

एक ओर कर, शुल्क, उपकर और शुल्क में एकरूपता और दूसरी ओर कर्मचारी (ओं) के कल्याण कोष में योगदान। यह एक और कारण है कि हमारा मानना है कि वित्त अधिनियम, 2003 पूर्वव्यापी है। इसके अलावा, एलाइड मोटर्स (पी) लिमिटेड [(1997) 3 एस. सी. सी. 472 (1997) 224 आई. टी. आर. 677] में निर्णय तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था, जो हम पर बाध्यकारी है। तदनुसार, हमारा मानना है कि वित्त अधिनियम, 2003 1 से 4,1988 (जब पहला परंतुक जोड़ा गया था) से पूर्वव्यापी रूप से काम करेगा।

23. अंत में, हम उस कठिनाई और दुर्भावनापूर्ण भेदभाव की ओर इशारा कर सकते हैं जो निर्धारिती (ओं) के कारण होगा यदि [2022] 10 एस. सी. आर.

विभाग के इस तर्क को स्वीकार किया जाना चाहिए कि वित्त अधिनियम, 2003, उपरोक्त सीमा तक, संभावित रूप से संचालित होता है। उदाहरण के लिए, वर्तमान मामले में, उत्तरदाताओं ने 31 मार्च (लेखा वर्ष की समाप्ति) के बाद आर. पी. एफ. सी. के पास योगदान जमा किया है, लेकिन आयकर अधिनियम के तहत विवरणी दाखिल करने से पहले और भुगतान की तारीख देय राशि के बाद आती है।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत उन्हें हर समय कटौती से वंचित कर दिया जाएगा। दूसरे परंतुक को ध्यान में रखते हुए, जो प्रासंगिक समय पर कानून की पुस्तक में था, ऐसे प्रत्येक निर्धारिती (ओं) के तहत कटौती का हकदार नहीं होगा।

अधिनियम की धारा 43-बी सभी समय के लिए। वे उस खाते के वर्ष में भी कटौती का लाभ खो देंगे जिसमें वे कल्याण निधि में योगदान का भुगतान करते हैं, जबकि एक चूककर्ता, जो 1-4-2004 तक कल्याण निधि में योगदान का भुगतान करने में विफल रहता है, और जो 1 4-2004 के बाद योगदान का भुगतान करता है, उसे अधिनियम की धारा 43 बी के तहत कटौती का लाभ मिलेगा।

44. इसमें कोई संदेह नहीं है कि आलम एक्सट्रूशंस में, इस अदालत ने धारा 43 बी के दूसरे परंतुक को हटाने के प्रभाव पर विचार किया, जिसमें अनिवार्य किया गया था कि जब तक नियोक्ताओं के योगदान की राशि अधिकारियों के पास जमा नहीं की जाती, तब तक कानून में अन्यथा अनुमत कटौती उपलब्ध नहीं होगी। इस अदालत की राय थी कि चूक उपचारात्मक थी, और जब तक नियोक्ता आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले बकाया जमा करता है, तब तक कटौती उपलब्ध थी।

45. अलोम एक्सट्रूशंस के फैसले को पढ़ने से पता चलता है कि इस अदालत ने धारा 2 (24) (x) और 36 (1) (va) पर विचार नहीं किया। इसके अलावा, नियोक्ताओं के लिए धारा 36 (1) में अलग प्रावधान

योगदान और कर्मचारियों के योगदान पर भी किसी का ध्यान नहीं गया। अदालत ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा किः

" 15. ..... एक बार फिर यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा न केवल दूसरे परंतुक को हटा दिया गया है, बल्कि पहले परंतुक को भी संशोधित करने की मांग की गई है।

एक ओर कर, शुल्क, उपकर और शुल्क में एकरूपता दूसरी ओर कर्मचारी (ओं) की कल्याण निधि में योगदान। यह एक और कारण है कि हमारा मानना है कि वित्त अधिनियम, 2003 पूर्वव्यापी है। इसके अलावा, एलाइड मोटर्स (पी) लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय एक बेंच HECKMATE SERVICES P. Ltd. द्वारा दिया जाता है।

वी. के आयुक्त

आय कर-1 [एस। रवींद्र भाट, जे।]

तीन विद्वान न्यायाधीशों का, जो हम पर बाध्यकारी है। तदनुसार,

हमारा मानना है कि वित्त अधिनियम, 2003 पूर्वव्यापी रूप से काम करेगा।

निर्धारिती (ओं) यदि विभाग का तर्क होना है यह स्वीकार किया कि वित्त अधिनियम, 2003,2003, उपरोक्त सीमा तक, संभावित रूप से संचालित होता है। एक उदाहरण लें-वर्तमान मामले में,

उत्तरदाताओं ने योगदान के साथ जमा किया है

R.P.F.C. 31 मार्च के बाद [लेखा वर्ष का अंत] लेकिन उससे पहले

आयकर अधिनियम के तहत विवरणी दाखिल करने की तिथि और

देय तिथि के बाद भुगतान होता है कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, उन्हें कटौती से वंचित कर दिया जाएगा

हर समय के लिए। दूसरे परंतुक को ध्यान में रखते हुए, जो था

सुसंगत समय पर संविधि पुस्तिका, ऐसे प्रत्येक निर्धारिती (ओं)

धारा 43 बी के तहत कटौती का हकदार नहीं होगा

हर समय कार्य करें। वे कटौती का लाभ खो देंगे।

यहां तक कि खाते के उस वर्ष में भी जिसमें वे योगदान का भुगतान करते हैं

कल्याणकारी निधियों के लिए, जबकि एक चूककर्ता, जो भुगतान करने में विफल रहता है

1 अप्रैल, 2004 तक कल्याण निधि में योगदान,

और जो 1 अप्रैल, 2004 के बाद योगदान का भुगतान करता है,

अधिनियम की धारा 43 बी के तहत कटौती का लाभ प्राप्त करें। में।

हमारा दृष्टिकोण, इसलिए, वित्त अधिनियम, 2003, इंगित सीमा तक

ऊपर, पूर्वव्यापी के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। अतः यह होगा कि

1 अप्रैल, 1988 से संचालित, जब पहला परंतुक था

परिचय कराया। यह सच है कि संसद ने स्पष्ट रूप से कहा है

कि वित्त अधिनियम, 2003,1 अप्रैल से प्रभावी होगा,

2004. हालांकि, हमारे सामने मामले में सिद्धांत शामिल है वित्त अधिनियम के प्रावधानों पर निर्माण किया जाना,

2003 " .

46. कर कानूनों की व्याख्या के सिद्धांतों पर चर्चा

मना कर दिया। अजमेरा आवास निगम और अन्य में। बनाम।

आय के निशनर "इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 27. यह एक साधारण कानून है कि एक कर कानून का अर्थ लगाया जाना है

सख्ती से। कर अधिनियम में केवल यह देखना होता है कि क्या कहा गया है।

प्रासंगिक प्रावधान में। कर के बारे में कोई अनुमान नहीं है। कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है, कुछ भी निहित नहीं है। वहाँ कोई नहीं है

युग आवास निगम और अन्य। बनाम आय आयुक्त, 2010 (8) एस. सी. सी. [2022] 10 एस. सी. आर.

किसी भी इरादे के लिए जगह। कर के बारे में कोई इक्विटी नहीं है। (देखिएः

केप ब्रांडी सिंडिकेट बनाम। अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त

(1921) 1 के. बी. 64 और फेडरेशन ऑफ ए. पी. चैंबर्स ऑफ कॉमर्स

और उद्योग और अन्य। वी. ए. पी. और अन्य का राज्य। (2000) 6 एससीसी

550. एक कराधान कानून की व्याख्या करते समय, न्यायालय को देखना चाहिए

कानून के शब्दों पर चौकोर रूप से और उनकी व्याख्या करें।

कठिनाई, अन्याय और समानता पर पूरी तरह से विचार किया जाता है

एक कराधान क़ानून की व्याख्या करने में जगह से बाहर। (यह भी देखेः

बिक्री कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश बनाम। मोदी शुगर

मिल्स लिमिटेड 1961 (2) एससीआर 189.) ” 47. इसी तरह, इस अदालत ने व्याख्या के संबंध में नियम को रेखांकित किया

आय कर आयुक्त-III बनाम कलकत्ता में ज़िंग क़ानून

वेरस, लुधियाना। 18 हाल ही में, भारत संघ और अन्य में। बनाम एक्साइड स्ट्राइज़ लिमिटेड एंड ओआरएस, 19 इस अदालत ने जांच की और एक चुनौती को खारिज कर दिया

धारा 43 ख की संवैधानिकता, विशेष रूप से आवश्यक प्रावधान

1 कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण लाभ के संबंध में भुगतान।

इस संबंध में अदालत की टिप्पणियां प्रासंगिक हैंः

" 20. तथापि, धारा 43 ख का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है -

देनदारियों के बदले में निर्धारिती द्वारा प्राप्त की जाने वाली कटौती

वास्तविक भुगतान किए बिना पिछले वर्ष में उपार्जित

उसी का निर्वहन करें। यह कोई प्रतिबंध लगाने का प्रावधान नहीं है।

किसी विशेष को अपनाने में निर्धारिती की स्वायत्तता पर

लेखांकन की विधि, और न ही निर्धारिती को किसी भी वैध से वंचित करती है

कटौती। इसके बजाय, यह केवल एक अतिरिक्त के रूप में काम करता है

कटौती का लाभ उठाने के लिए निर्दिष्ट शर्त सिर।

21. धारा 43 बी का शीर्षक है "कुछ कटौती केवल वास्तविक भुगतान पर "। यह एक गैर-अवरोधक खंड के साथ खुलता है। के रूप में

व्याख्या के तय किए गए सिद्धांतों के अनुसार, एक गैर-अबाधित खंड

किसी भी अन्य प्रावधान के खिलाफ एक अधिरोही चरित्र मानता है

संसद द्वारा इसे आबंटित किया गया, यह नियंत्रित नहीं होगा या जब तक विशेष रूप से प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक किसी अन्य प्रावधान द्वारा ओवरराइड किया जाता है

के लिए। स्वीकार्य कटौती में से, विधायिका

समय-समय पर सचेत रूप से कुछ कटौती निर्धारित की जाती है।

और उन्हें धारा 43 बी के दायरे में शामिल किया ताकि विषय के रूप में

आयकर के मिशनर-III बनाम कलकत्ता निटवियर, लुधियाना 2014 (6) एस. सी. सी. 444। भारत और ओआरएस के बारे में। बनाम एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य। , 2020 (5) एससीसी 274।

हेक्मेट सर्विसेज पी. लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त-1 [एस। रवींद्र भाट, जे।]

वास्तविक भुगतान की सशर्तता के लिए ऐसी कटौती। इस तरह

सशर्तता का अनिवार्य प्रभाव हो सकता है कि वह देयता के आधार पर लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली के विषय से अलग हो जो कटौती के विशिष्ट शीर्ष में शामिल है।

उसमें और अन्य प्रमुखों के लिए नहीं। लेकिन यह एक बात है

विधायिका और ऐसा करने में उसका विवेक।

22. धारा 43 बी का अस्तित्व 1983 से शुरू होता है जब विधायिका ने 1961 के अधिनियम में इस तरह के प्रावधान के विचार की अवधारणा की थी। प्रारंभ में, इस प्रावधान में कर या शुल्क के रूप में निर्धारिती द्वारा देय राशि या किसी भी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि में योगदान के रूप में नियोक्ता द्वारा देय किसी भी राशि के संबंध में कटौती शामिल थी। यह उल्लेखनीय है कि विधायिका ने वैधानिक देनदारियों की चोरी की कुछ प्रथाओं का हवाला देते हुए इन कटौती को शामिल करने की व्याख्या की।

और कर्मचारियों के कल्याण के लिए अन्य देनदारियाँ।

***

23. समय बीतने के साथ, विधायिका ने और अधिक जोड़ा

उपकर, बोनस या सहित धारा 43 बी की कटौती नियोक्ता द्वारा देय कमीशन, वित्तीय संस्थानों, अनुसूचित बैंकों आदि को देय ऋणों पर ब्याज, नियोक्ता द्वारा छुट्टी नकदीकरण के बदले में भुगतान और रेलवे को देय राशि का पुनर्भुगतान। इस प्रकार समझा जाए तो धारा में शामिल कटौती की प्रकृति में कोई एकता या एकरूपता नहीं है।

43 बी. यह आग्रह करने का कोई औचित्य नहीं है कि यह धारा केवल वैधानिक देनदारियों से संबंधित कटौती का प्रावधान करती है। धारा 43 बी एक मिश्रित बैग है और विभिन्न वित्तीय परिदृश्यों को पूरा करने के लिए समय-समय पर इसमें नई और भिन्न प्रविष्टियां डाली गई हैं, जो सरकार द्वारा सबसे अच्छी तरह से निर्धारित की जाती हैं। विधायिका के लिए एक नया दायित्व बनाना, मौजूदा दायित्व से छूट देना, कटौती करना या कटौती करना असामान्य या असामान्य नहीं है।

नियमों को ओवरराइड करने के लिए एक मौजूदा कटौती के अधीन या शर्तें।

24. छुट्टी नकदीकरण योजना में एक के भुगतान की परिकल्पना की गई है

कर्मचारियों को एक वर्ष में उनकी अप्रयुक्त भुगतान छुट्टी के बदले में एक निश्चित राशि दी जाएगी। इस भुगतान की प्रकृति लाभकारी और कर्मचारी समर्थक है। हालाँकि, यह इनाम के रूप में नहीं है और कर्मचारी की सेवा की शर्तों का एक हिस्सा है।

नियोक्ता अग्रिम रूप से कर देयता से कटौती की मांग कर रहा है

छुट्टी नकदीकरण के दायित्व के निर्वहन का नाम,

वास्तव में कर्मचारी को इस तरह का भुगतान किए बिना और जब भुगतान का समय आता है तो यह घृणित हो सकता है।

परिणाम। जब इस तरह के भुगतान का समय आता है कर्मचारी की सेवानिवृत्ति (या अन्यथा), एक नियोक्ता कर सकता है

बस भुगतान करने से इनकार करते हैं। नतीजतन, निर्दोष कर्मचारी अपने जीवन की शाम को बिना किसी गलती के कड़ी मेहनत से अर्जित अधिकार का दावा करने के लिए मुकदमेबाजी में उलझ जाएगा। साथ ही, इससे नियोक्ता को दोगुना लाभ होगा-बिना किसी बोझ के कर देयता से अग्रिम कटौती।

वास्तविक भुगतान और अवसर पर भुगतान करने से इनकार उठती है। यह शरारत खंड (च) अधीन करने का प्रयास करता है।

48. कर कानून की व्याख्या के नियमों में से एक यह है कि यदि कुछ शर्तों के अनुपालन पर कटौती या छूट उपलब्ध है, तो शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। 20 यह नियम इस सामान्य सिद्धांत के अनुरूप है कि कर लगाने वाले कानूनों को सख्ती से समझा जाना चाहिए, और न्यायसंगत विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। 49. वह कटौती तभी दी जानी चाहिए जब उन्हें नियंत्रित करने वाली शर्तों का सख्ती से पालन किया जाए। यह झारखंड राज्य बनाम अंबे सीमेंट्स में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

" 23 ..... हमारे विचार में, छूट खंड के प्रावधानों को

सख्ती से समझा जाए और यदि वह शर्त जिसके तहत

छूट दी गई थी और किसी भी कारण से बदल गई थी

बाद की घटना में छूट लागू नहीं होगी।

24. हमारे विचार में, एक कर कानून में एक अपवाद या छूट देने वाले प्रावधान का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए और यह खुला नहीं है।

में निर्धारित शर्तों को नजरअंदाज करने के लिए अदालत को

औद्योगिक नीति और छूट अधिसूचनाएँ।

25. हमारे विचार में, आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने के लिए उत्तरदायी बनाती है। जबकि अनिवार्य नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, निर्देशिका के मामले में पर्याप्त अनुपालन पर्याप्त हो सकता है।

नियम।

20 उदाहरण के लिए ईगल फ्लास्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम देखें। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, 2004 सप्लीमेंट (4) एससीआर 35। 21

झारखंड राज्य बनाम अंबे सीमेंट्स, (2005) 1 एस. सी. सी. 368।

26. जब भी कानून यह निर्धारित करता है कि कोई विशेष अधिनियम

एक विशेष तरीके से किया जाए और उस विफलता को भी निर्धारित किया जाए

व्याख्या का मूल नियम कि जहाँ एक क़ानून प्रदान करता है कि एक विशेष काम किया जाना चाहिए, यह किया जाना चाहिए

निर्धारित तरीका और किसी अन्य तरीके से नहीं। यह भी है

व्याख्या का तय नियम कि जहाँ एक क़ानून में दंडनीय है

चरित्र, इसका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए और इसका पालन किया जाना चाहिए। तब से

तत्काल मामले में, पूर्व प्राप्त करने की आवश्यकता

अनुमति अनिवार्य है, इसलिए, गैर-अनुपालन

इसके परिणामस्वरूप पक्ष में दी गई रियायत को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

अनुदान प्राप्तकर्ता का, यहाँ प्रत्यर्थी "।

इसकी पुष्टि कई निर्णयों में भी की गई, जैसे -

आय कर के मिशनरी v. एस मल्टी एक्स सिस्टम Ltd.22

50. संविधान पीठ, सीमा शुल्क आयुक्त बनाम। दिलीप

ए. आर. एंड कंपनी 23 ने निम्नलिखित रूप में समर्थन कियाः

" 24. दंडात्मक कानूनों और कराधान कानूनों का अर्थ लगाने में,

न्यायालय को व्याख्या का सख्त नियम लागू करना होगा। दांडिक

कानून जो किसी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित करता है और

स्वतंत्रता की सख्त व्याख्या की जानी चाहिए या फिर कई

निर्दोष व्यक्ति विवेकाधीन निर्णय के शिकार हो सकते हैं

बनाते हैं। जहाँ तक कराधान कानूनों का संबंध है, अनुच्छेद

265 संविधान के [" 265. टैक्स नहीं लगाया जाएगा

कानून के अधिकार से। इसके अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। कानून के अधिकार से "।] राज्य को कर निकालने से रोकता है

कानून के अधिकार के बिना नागरिकों से। यह स्वयंसिद्ध है कि

अपनी सनक और इच्छाओं के बिना नागरिकों पर बोझ नहीं डाल सकते। कानून का अधिकार। दूसरे शब्दों में, जब सक्षम

विधायिका कुछ व्यक्तियों/कुछ वस्तुओं पर कर लगाने का आदेश देती है।

कुछ परिस्थितियों में इसका विस्तार/व्याख्या नहीं की जा सकती है। उन लोगों को शामिल करना, जो विधायिका द्वारा अभिप्रेत नहीं थे।

***

34. ऊपर निकाले गए अंशों को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था

इस न्यायालय द्वारा कम से कम दो निर्णयों में सी. आई. टी. v. कस्तुरी और

आय कर के मिशनरी v. एस मल्टी एक्स सिस्टम लिमिटेड, 2018 (2) एस. सी. सी. 158

सीमा शुल्क के मिशनर बनाम। दिलीप कुमार एंड कंपनी, 2018 (9) एससीसी 1.

2] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सन्स लिमिटेड [सी. आई. टी. बनाम. कस्तूरी एंड संस लिमिटेड, (1999) 3 एस. सी. सी. 346]

और स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी. वी. केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड [राज्य डब्ल्यू. बी. वी. केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2004) 10 एस. सी. सी. 201]

(इसके बाद केसोरम इंडस्ट्रीज मामला [राज्य] के रूप में संदर्भित किया गया है।

डब्ल्यू. बी. वी. केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (2004) 10 एस. सी. सी. 201] "

संक्षिप्तता)। बाद के निर्णय में, पाँच न्यायाधीशों की एक पीठ,

न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह के ग्रंथ से उपरोक्त अंश का हवाला देते हुए,

इन पर लागू होने वाले निम्नलिखित सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया

एक कर कानून की व्याख्याः

(i) कर कानून की व्याख्या करते समय न्यायसंगत विचार किए जाते हैं।

वे पूरी तरह से जगह से बाहर हैं। एक कर कानून की व्याख्या नहीं की जा सकती है। किसी भी अनुमान या धारणा पर। एक कर कानून होना चाहिए

जो स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है उसके प्रकाश में व्याख्या की गई है; यह नहीं कर सकता है

कुछ भी इंगित करता है जो व्यक्त नहीं किया गया है; यह आयात नहीं कर सकता

कानून में प्रावधान ताकि किसी भी कमी की आपूर्ति की जा सके;

((ii) किसी भी व्यक्ति पर कर लगाने से पहले, यह दिखाया जाना चाहिए कि वह गिर जाता है। उपयोग किए गए स्पष्ट शब्दों द्वारा चार्जिंग अनुभाग के दायरे में

खंड में; और

(iii) यदि शब्द अस्पष्ट हैं और दो के लिए खुले हैं

व्याख्या, व्याख्या का लाभ दिया जाता है विषय और एक करदाता के भागने में कुछ भी अन्यायपूर्ण नहीं है यदि

कानून का पत्र उसे पकड़ने में विफल रहता है क्योंकि विधायिका की खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में विफलता।

51. की ओर से उद्धृत विभिन्न निर्णयों का विश्लेषण

निर्धारिती अर्थात आय आयुक्त-कर बनाम। एमिल लिमिटेड 24; आय आयुक्त-कर और एक अन्य v. साबरी एंटरप्राइजेज 25; आयकर आयुक्त बनाम। पामवी टिश्यूज लिमिटेड 26; आय-कर आयुक्त, उदयपुर बनाम। उदयपुर दुगध उत्पादक सहकारी

संध Ltd.27 और निप्सो पॉलीफैब्रिक्स (उपरोक्त) से पता चलता है कि इन सभी मामलों में, उच्च न्यायालय मुख्य रूप से धारा 43 बी (बी) के दूसरे परंतुक को हटाने पर निर्भर थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इनमें से कई निर्णय भी लिए गए थे

26 आयकर आयुक्त बनाम पामवी टिश्यूज लिमिटेड, [2009] 313 आईटीआर 137 (बॉम्बे उच्च न्यायालय)। 27 आय-कर आयुक्त, उदयपुर बनाम। उदयपुर दुगध उत्पादक सहकारी संध लिमिटेड, [2013] 35 कर अधिकारी। कॉम 616 (राजस्थान उच्च न्यायालय)।

52. जब संसद ने धारा 43 बी को पेश किया, तो जो क़ानून पुस्तिका में था, वह केवल नियोक्ता का योगदान था (धारा 34 (1) (iv))। उस समय कर्मचारी के योगदान को नियोक्ता की कमाई का हिस्सा माने जाने का कोई सवाल ही नहीं था। कानून के मूल सिद्धांतों को लागू करने पर इसे केवल प्राप्तियों के रूप में माना जा सकता था जो आय की राशि नहीं थी। जब संसद ने संशोधनों को पेश किया 1988-89 , धारा 36 (1) (वी. ए.) को अंतःस्थापित करना और साथ ही धारा 43 बी का दूसरा परंतुक अंतःस्थापित करना, इसका उद्देश्य राशियों की असमान प्रकृति के साथ समान रूप से व्यवहार करना नहीं था। जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, वित्त विधेयक को पेश करने वाले ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रावधान-विशेष रूप से धारा 43 बी का दूसरा प्रावधान-यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया था कि नियोक्ता द्वारा संबंधित निधि (ई. पी. एफ., ई. एस. आई., आदि) को समय पर भुगतान किया जाए और नियोक्ताओं द्वारा लंबे समय तक राशि बनाए रखने की शरारत से बचा जाए। कि संसद इन दोनों के अलग चरित्र को बनाए रखने का इरादा रखती है

राशि, विभिन्न भाषाओं के उपयोग से स्पष्ट है। धारा 2 (24) (x) भी कर्मचारियों से प्राप्त राशि को मानती है (क्या राशि

कर्मचारी से या कानून द्वारा अधिकृत कटौती के माध्यम से) आय के रूप में प्राप्त किया जाता है-यह उस राशि का चरित्र है जो महत्वपूर्ण है, यानी अर्जित आय नहीं। इस प्रकार, कटौती आदि के माध्यम से कर्मचारी की आय से नियोक्ता द्वारा रखी गई राशि को नियोक्ता के हाथों में आय के रूप में माना जाता था। इस प्रावधान का महत्व यह है कि एक ओर यह "आय" राशियों के तह में लाया जाता है जो कर्मचारियों की आय से प्राप्तियां या कटौती थीं; उस समय, निर्धारित समय के भीतर भुगतान-संबंधित निधि के साथ उनके क्रेडिट में कर्मचारियों के हिस्से के योगदान के माध्यम से कटौती के रूप में माना जाता है (धारा 36 (1) (वीए))। अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि नियोक्ता के योगदान (धारा 36 (1) (iv)) और नियोक्ता द्वारा जमा किए जाने के लिए आवश्यक कर्मचारियों के योगदान (धारा 36 (1) (va)) के बीच इस अंतर को बनाए रखा गया था-और इसे बनाए रखा जाना जारी है। दूसरी ओर,

धारा 43 बी उन सभी कटौती को शामिल करती है जो व्यय के रूप में अनुमत हैं,

या निर्धारिती के दायित्व का हिस्सा बनने वाली गतिविधियाँ। इनमें कर देयता, उपकर शुल्क आदि या अनुबंध की शर्तों को ध्यान में रखते हुए ब्याज देयता जैसी देनदारियां शामिल हैं। इस प्रकार, केवल इनका ही समय पर भुगतान [2022] 10 एस. सी. आर.

किसी निर्धारिती को कुल आय से कटौती का लाभ दें। धारा 43 बी का अनिवार्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि निर्धारिती लेखांकन के व्यापारिक तरीके का पालन कर रहे हैं, तो भी, केवल पुस्तक प्रविष्टियों के आधार पर ऐसी देनदारियों की कटौती नहीं की जाएगी। खर्च की अनुमति देने के लिए वास्तविक भुगतान एक आवश्यक पूर्व शर्त थी।

53. एक नियोक्ता के योगदान के बीच का अंतर जो कानून के तहत उसका प्राथमिक दायित्व है-धारा 36 (1) (iv) के संदर्भ में, और उसके द्वारा प्राप्त या उसके द्वारा कटौती की गई राशि जमा करने के लिए उसके दायित्व (धारा

36 (1) (वा)) इस प्रकार महत्वपूर्ण है। पहला नियोक्ता की आय का हिस्सा है, और बाद वाला धारा 2 (24) (x) के आधार पर आय (यद्यपि मानित) के रूप में अपने चरित्र को बरकरार रखता है-जब तक कि धारा 36 (1) (वी. ए.) के स्पष्टीकरण द्वारा वर्तनी की गई शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, यानी, नियत तारीख को या उससे पहले कर्मचारी से प्राप्त या कटौती की गई ऐसी राशि जमा करना। अन्य में शब्दों में, दोनों राशियों की प्रकृति और चरित्र के बीच एक स्पष्ट अंतर है-नियोक्ता के दायित्व का भुगतान उसकी आय से किया जाना है जबकि दूसरे को आय माना जाता है, परिभाषा के अनुसार, क्योंकि यह कर्मचारियों की आय से कटौती है और नियोक्ता द्वारा विश्वास में रखी जाती है। धारा 43 बी के तहत प्रत्येक निर्धारिती के दायित्व की व्याख्या करते समय इस उल्लेखनीय अंतर को सहन करना होगा।

54. इस न्यायालय की राय में, विवादित निर्णय में यह तर्क कि गैर-अवरोधक खंड किसी भी तरह से उसके द्वारा रखी गई राशि को जमा करने या कर्मचारी की आय से उसके द्वारा कटौती करने के नियोक्ता के दायित्व को कमजोर या ओवरराइड नहीं करेगा, जब तक कि यह शर्त कि इसे नियत तारीख को या उससे पहले जमा किया जाता है, सही और उचित है। गैर-बाध्यकारी खंड को धारा 43 बी के पूरे प्रावधान के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जो कि भुगतान से पहले समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है।

कर, ब्याज भुगतान और अन्य वैधानिक दायित्वों के रूप में निर्धारिती द्वारा वहन की जाने वाली कुछ देनदारियों के विवरणी दाखिल किए जाते हैं। इन देनदारियों के मामले में, नियत तिथि क्या है, इसे क़ानून द्वारा परिभाषित किया जाता है। फिर भी, निर्धारिती को इस मामले में कुछ छूट दी जाती है, जब तक कि जमा निर्धारित तिथि से आगे, लेकिन निर्धारित तिथि से पहले किए जाते हैं। रिटर्न दाखिल करने पर कटौती की अनुमति है। हालाँकि, यह ट्रस्ट में रखी गई राशियों के मामले में लागू नहीं हो सकता है, जैसा कि कर्मचारियों के योगदान के मामले में होता है-जो उनकी आय से काटे जाते हैं। वे निर्धारिती नियोक्ता की आय का हिस्सा नहीं हैं, और न ही वे वैधानिक भुगतान के रूप में प्रति कटौती के प्रमुख हैं। वे दूसरों की आय, धन हैं, जिन्हें केवल आय माना जाता है, जिसका उद्देश्य चेकमेट सर्विसेज पी. लिमिटेड है।

यह सुनिश्चित करना कि उन्हें निर्दिष्ट नियत तिथि के भीतर भुगतान किया गया है

विशेष कानून। उन्हें इस तरह के कल्याणकारी कानूनों के संदर्भ में जमा किया जाना चाहिए। यह उन अधिनियमों के संदर्भ में और ऐसी संबंधित कानून द्वारा अनिवार्य नियत तिथियों पर या उससे पहले जमा करने पर है कि जो राशि अन्यथा रखी जाती है, और आय मानी जाती है, उसे कटौती के रूप में माना जाता है। इस प्रकार, यह कटौती के लिए एक आवश्यक शर्त है कि ऐसी राशि नियत तारीख को या उससे पहले जमा की जाए। यदि ऐसी व्याख्या को अपनाया जाना था, तो धारा 43 बी या उस प्रावधान में निहित किसी भी चीज़ के तहत अबाधित खंड निर्धारिती को कटौती की शर्त के रूप में नियत तारीख को या उससे पहले कर्मचारी के योगदान को जमा करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

55. उपरोक्त तर्क के आलोक में, इस न्यायालय की राय है कि विवादित निर्णय के दृष्टिकोण में कोई कमजोरी नहीं है। द. अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णय, इसके विपरीत, सही कानून निर्धारित नहीं करते हैं। इन कारणों से, इस अदालत को विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। तदनुसार अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

बिभूति भूषण बोस (सहायकः प्रीतम भारती, एलसीआरए)